रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112026-277761
CG-DL-E-06112026-277761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5857] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2026/कार्तिक 15, 1948
No. 5857] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2026/KARTIKA 15, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2026

का.आ. 6090(अ).— केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में पंजाब कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2026 (2026 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 9) जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त था, को निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, विस्तारित करती है, अर्थात्:—

उपांतरण

1. पंजाब कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2026 में, जैसा कि चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है),—

(क) "पंजाब राज्य" शब्द जहां कहीं आते हैं, के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "राज्य सरकार" शब्द जहां कहीं आते हैं, के स्थान पर "सरकार" शब्द रखा जाएगा।

2. उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "सेवाएं अधिनियम, 2026" शब्दों और अंकों के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (9) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(9) 'विभाग' से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का कारागार और सुधारात्मक प्रशासन विभाग अभिप्रेत है;";

(ख) खंड (14) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(14) 'सरकार' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;";

(ग) खंड (15) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(15) 'अभ्यस्त अपराधी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे पांच वर्ष की किसी निरंतर अवधि के दौरान, दो से अधिक अवसरों पर, भिन्न भिन्न अवसरों पर किए गए ऐसे अपराधों के लिए, और जो एक ही संव्यवहार का भाग नहीं हैं, दोषसिद्ध किया गया है और ऐसे अपराधों के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है, जहां ऐसी दोषसिद्धियां या दंडादेश अपील या पुनरीक्षण में अपास्त नहीं किए गए हैं:

परंतु कि उक्त पांच वर्ष की निरंतर अवधि की गणना करने में, कारावास के दंडादेश या निरोध के अधीन कारागार में बिताई गई किसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा;";

(घ) खंड (16) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(16) 'विभागाध्यक्ष' से महानिरीक्षक कारागार, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे;";

(ङ) खंड (33) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(33) 'राज्य' से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;"।

4. उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु 'उड़ान-निषिद्ध क्षेत्र' के भीतर किसी हवाई वस्तु का प्रचालन केवल ऐसी अनुमति के साथ किया जा सकेगा, जो विधि शासित नागर विमानन के अधीन सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित हों और विभाग का पूर्व अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया हो।"।

5. उक्त अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"21. बंदी का अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को स्थानांतरण

"(1) जहां कोई बंदी चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के किसी कारागार में कारावास या मृत्युदंड के दंडादेश के अधीन, या जुर्माने का संदाय न करने या परिशांति बनाए रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम के कारण परिरुद्ध है, वहां सरकार, संबद्ध अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार की सहमति से, आदेश द्वारा, ऐसे बंदी का उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी कारागार में स्थानांतरण करने या उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी कारागार से किसी बंदी का चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के किसी कारागार में स्थानांतरण करने का उपबंध कर सकेगी।

(2) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सुरक्षा के हित में, विधि और व्यवस्था बनाए रखने या लोकहित में, किसी विचारणाधीन बंदी का चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र से किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थानांतरण, संबद्ध सरकारों की सहमति से तथा उस न्यायालय के अनुमोदन से, जिसके समक्ष विचारण लंबित है, किया जा सकेगा।"।

6. उक्त अधिनियम की धारा 80 में, "पंजाब लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2019 (2019 का पंजाब अधिनियम संख्यांक 12)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "साधारण वित्तीय नियम, 2017" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

7. उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) कारागार कर्मियों को दिव्यांग बंदियों के अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने तथा ऐसे बंदियों को समुचित देखभाल और सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा।"।

[फा. सं. यू-11015/2/2026-यूटीएल]

पी. मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

उपाबंध

पंजाब सरकार राजपत्र (अतिरिक्त), 21 मई, 2026
(वैशाख 31, 1948 शक)

भाग-I

पंजाब सरकार

विधिक एवं विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

21 मई, 2026

क्रमांक 10-विधि./2026.- पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम को पंजाब के राज्यपाल की 15 मई, 2026 को स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसे सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

पंजाब कारागार और सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम, 2026

(पंजाब अधिनियम संख्यांक 2026 का 9)

कारागार अभिरक्षा में सिपुर्द किये जाने वाले बंदियों का निरोध करने तथा उनके सुधार और पुनर्वास के लिए, सुरक्षित निरोध सुनिश्चित करने और व्यष्टिक गरिमा के सिद्धांतों से संगत बंदियों के बर्ताव के न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की दृष्टि से तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधानमंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब कारागार और सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम, 2026 है।
(2) यह संपूर्ण पंजाब राज्य में विस्तारित होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं, तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत होने के निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(1) "पश्चातवर्ती देखरेख" से छोड़े गये बंदियों के वित्तीय पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में सामाजिक एकीकरण के उद्देश्य से किया गया कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

(2) "सिविल बंदी" से, कोई बंदी जो आपराधिक बंदी नहीं है,अभिप्रेत है।

(3) "सक्षम प्राधिकारी" से, प्रश्नगत किसी विशिष्ट विषय से निपटने के लिए अधिकारिता प्राप्त और सम्यक प्राधिकार वाला कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(4) "दोषसिद्ध" से कोई ऐसा बंदी अभिप्रेत है जिसे किसी न्यायालय या अधिकरण या सेना न्यायालय द्वारा किसी अवधि के लिए सजा सुनाई गई हो;

(5) "सुधारात्मक सेवा" से कोई भी ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अनुसार उपबंधित की जाती है, और इसके अंतर्गत बंदियों के निर्धारण, पर्यवेक्षण, उपचार, प्रशिक्षण, नियंत्रण, अभिरक्षा, सुधार या पुनर्वास से संबंधित सेवाएं भी आती हैं;

(6) "आपराधिक बंदी" से, दाण्डिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय या सेना न्यायालय के रिट, वारंट या आदेशों के अधीन सम्यक रूप से हिरासत में लिया गया कोई बंदी अभिप्रेत है और उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (केंद्रीय अधिनियम संख्याक 2023 का 46) के अध्याय 9 और बंदी अधिनियम, 1900 (केंद्रीय अधिनियम संख्याक 1900 का 3) के उपबंधों के अधीन कारागार में बंद व्यक्ति शामिल है;

(7) "न्यायालय" के अंतर्गत विधिपूर्वक सिविल, दाण्डिक या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी आता है:

(8) "निरुद्ध बन्दी" से अभिप्रेत है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली सुसंगत विधियों के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर कारागार में निरूद्ध कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(9) "विभाग" से, कारागार और सुधारात्मक सेवा विभाग, पंजाब अभिप्रेत है;

(10) "निदेशालय" से, पंजाब राज्य कारागार और सुधार सेवा निदेशालय अभिप्रेत है;

(11) "परिवार" से, पति/पत्नी, बालक जिनमें विधिक रूप से गोद लिए गए बालक भी शामिल हैं, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी/नाना-नानी और नाते /नाती-पोते/पोती अभिप्रेत है। इन सदस्यों की अनुपस्थिति में, इसके अंतर्गत बंदी के सास-ससुर, देवर-देवरानी, जेठ-जेठानी, ननद-नन्दोई, साला-साली, बच्चों के जीवनसाथी, माता-पिता के भाई-बहन भी आयेंगे। उभयलिंगि बंदियों के संदर्भ में, यदि कोई निकट संबंधी नहीं है, तो इसके अंतर्गत सामाजिक-धार्मिक पारिवारिक प्रणाली के माध्यम से संबंधित लोग भी आएंगे।

(12) "विदेशी बंदी" से, कोई ऐसा बंदी अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक न हो।

(13) "जराचिकित्सक बंदी" से ऐसा बंदी अभिप्रेत है, जिसकी आयु पैंसठ वर्ष या उससे अधिक है और जो चिकित्सकीय रूप से बिना सहायता के अपने दैनिक कार्यों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने में असमर्थ है;

(14) "सरकार" से, पंजाब राज्य सरकार, कारागार और सुधारात्मक सेवा विभाग अभिप्रेत है;

(15) "आभ्यासिक अपराधी" का वही अर्थ होगा जो पंजाब आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1952 (पंजाब अधिनियम संख्याक 1952 का 12) में उसे दिया गया है;

(16) "विभाग प्रमुख" से, महानिदेशक, कारागार और सुधार सेवाएँ, पंजाब या ऐसे अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए;

(17) "उच्च जोखिम वाले बंदी" से, ऐसा बंदी अभिप्रेत है, जिसमें हिंसा, भागने, आत्महानि, अव्यवस्थित व्यवहार की उच्च प्रवृत्ति हो और जो कारागार में अशांति पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने की संभावना रखता हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो समय-समय पर आत्महत्या की प्रवृत्ति से पीड़ित होते हैं और मादक पदार्थों से संबंधित और व्यसनी विकारों से ग्रसित होते हैं तथा संगठित अपराध में संलग्न व्यक्ति, प्रमुख मादक पदार्थों के तस्कर और स्मगलर, हिंसक या धार्मिक कट्टरपंथी, नक्सली, चरमपंथी, भाड़े के हत्यारे, संविदा हत्यारे, डकैत, सीरियल किलर, हिंसक बलात्कार की घटनाओं में शामिल अपराधी, हिंसक डकैती, सांप्रदायिक कट्टरपंथी, कारागार से भागने की प्रवृत्ति वाले बंदी, कारागार के अंदर संगठित प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी में शामिल बंदी, पुलिस या कारागार कार्मिकों पर हमले में शामिल अपराधी, और आतंकवादी क्रियाकलापों में शामिल व्यक्ति या अन्य बंदियों के लिए कोई अभिज्ञेय खतरा; या कोई भी बंदी जिसके जीवन को विनिर्दिष्ट, पहचान योग्य खतरा हो;

(18) "वृत्त पत्रक" से, भौतिक या इलेक्ट्रानिक प्ररूप में पत्रक अभिप्रेत है, जिसमें किसी बन्दी के संबंध में समस्त सुसंगत जानकारी प्रदर्शित हो;

(19) "नजरबंद " से एक विदेशी बंदी, जिसने अपनी सजा पूरी कर ली है और अपने देश निर्वासन का इंतज़ार कर रहा है, अभिप्रेत है;

(20) "मजिस्ट्रेट" से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन मजिस्ट्रेट की सभी या किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;
(21) "चिकित्सा अधिकारी" से, किसी कारागार के चिकित्सा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त अर्हित सरकारी चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है;
(22) "चिकित्सा अधीनस्थ कर्मचारीवृंद" के अंतर्गत एक अर्हित चिकित्सा सहायक, जैसे फार्मासिस्ट, नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन, परामर्शदाता या मनोचिकित्सक आता है;
(23) "माप" के अंतर्गत भौतिक, जैविक, चिकित्सा और बायोमेट्रिक नमूने और उनका विश्लेषण आता है, किंतु उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटोग्राफी, आईरिस स्कैन, शरीर के तरल पदार्थ के नमूने तक सीमित नहीं है; और व्यवहार संबंधी विशेषताएं जिनमें हस्ताक्षर, लिखावट, आवाज का नमूना लेना या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 51 या 52 में निर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षण शामिल है;
(24) "अपराध" से, किसी भी ऐसे कार्य या चूक से है जिसे किसी विधि द्वारा या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय बनाया गया हो अभिप्रेत है, जो उस समय लागू हो;

(25) "प्रभारी अधिकारी" से, सरकार द्वारा किसी कारागार के प्रभारी के रूप में नियुक्त कारागार अधिकारी अभिप्रेत है, अर्थात् अधीक्षक या उप अधीक्षक या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी या विभाग का ऐसा अन्य अधिकारी, जैसा विहित किया जा सके;
(26) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(27) "कारागार और सुधार संस्था" से, सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन स्थायी या अस्थायी रूप से व्यक्तियों को निरोध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कोई भी स्थान अभिप्रेत है, जिसमें विचारणाधीन बंदी, नजरबंद बंदी, दोषसिद्ध बंदी, दीवानी बंदी या न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित कोई अन्य व्यक्ति शामिल हैं, और दोषसिद्ध व्यक्तियों की देखभाल एवं पुनर्वास के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसमें उससे जुड़ी सभी भूमि और भवन शामिल हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं: -

(क) बंदियों को रखने का कोई स्थान, जो अनन्य रूप से पुलिस की हिरासत में हों;
(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 457 के अधीन सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई भी स्थान;
(ग) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (केंद्रीय अधिनियम संख्याक 2016 का 2) के अधीन स्थापित कोई भी अवलोकन गृह, विशेष गृह, बाल गृह, आश्रय गृह, सुरक्षा स्थल और राज्य सरकार द्वारा स्थापित महिलाओं के लिए सुरक्षा गृह;

(28) "बंदी" से, किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश, रिट या वारंट के अधीन परिरुद्ध किया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
(29) "कारागार अधिकारी" से, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत प्रभारी अधिकारी और किसी अन्य सुरक्षा बल या किसी अन्य सेवा के अधिकारी शामिल हैं जिन्हें बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कारागार प्रशासन की सहायता करने और बंदियों को सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए कारागार में तैनात किया जाता है;
(30) "कारागार कर्मचारीवृंद" से, निदेशालय या सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है, जो कारागार अधिकारी से भिन्न, कारागार प्रशासन से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करता है या कर्तव्यों या कार्यों का निष्पादन करता है या जैसा कि सरकार द्वारा सौंपा जा सकता है;
(31) " प्रतिषिद्ध वस्तु" से, ऐसी वस्तु अभिप्रेत है, जिसका किसी कारागार में प्रवेश या निष्कासन इस अधिनियम या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि या सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध है;
(32) "अपराध व्यसनी" से, ऐसा अपराधी अभिप्रेत है जिसने पहले अपराध के बाद दूसरा अपराध किया हो;

(33) "राज्य" से, पंजाब राज्य अभिप्रेत है;

(34) "विचारणाधीन बंदी" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो दोषसिद्ध नहीं है और जिसे पुलिस द्वारा जांच या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारण की प्रतीक्षा में न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है;

(35) "आगंतुक" से, कोई बंदी, कारागार अधिकारी या कारागार कर्मचारीवृंद से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सरकार या ऐसे सम्यक रूप से सशक्त प्राधिकारियों द्वारा कारागार में जाने की अनुमति दी गई हो;

(36) "वायरलेस संचार युक्ति" के अंतर्गत मोबाइल फोन, ड्रोन, वाई-फाई युक्ति, कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, टैबलेट, घड़ियाँ, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल रेडियो और संचार के लिए उनका उपयोग भी आता है, जैसे मौखिक, गैर-मौखिक, इंटरनेट, जनरल पैकेट रेडियो सेवा या ऐसी कोई भी युक्ति जो समान प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो या सरकार द्वारा वायरलेस संचार युक्ति के रूप में सम्यक्तः अधिसूचित कोई भी मद; और

(37) "युवा अपराधी" से, वह बंदी अभिप्रेत है से है जिसने अठारह वर्ष की आयु अभिप्राप्त कर ली है और इक्कीस वर्ष की आयु अभिप्राप्त नहीं की है।

अध्याय-2
कारागारों और सुधार गृहों के कृत्य

कारागारों और सुधार गृहों के कृत्य

3. कारागारों और सुधार गृहों के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(i) बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए ;

(ii) बंदियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करना;

(iii) बंदियों को भोजन, वस्त्र, आवास, अन्य आवश्यक वस्तुएँ और चिकित्सा उपचार प्रदान करना;

(iv) बंदियों को विधि का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में पुनर्वासित करने के उद्देश्य से उन्हें सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करना;

(v) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कारागार में अनुशासन बनाए रखना;

(vi) उपाय अंगीकार करना,-

(क) कठोर कारावास की सजा पाए बंदियों को श्रम में लगाना;

(ख) बंदियों को व्यवसाय-उन्मुख श्रम में लगाना, और

(ग) बंदियों को खाना पकाने, स्वच्छता सेवाओं, बागवानी या किसी अन्य काम जैसे क्रियाकलापों में रोस्टर के आधार पर लगाना; और

(vii) बंदियों को ऐसी अन्य सुविधाएं और सुख सुविधाएँ प्रदान करना, जैसा कि विहित किया जाएगा।

अध्याय 3
कारागार वास सुविधा

बंदियों के लिए वास सुविधा ।

4. सरकार, पंजाब राज्य में बंदियों को रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कारागार और सुधार संस्थाएं का उपबंध कराएगी, जिनका निर्माण और रखरखाव ऐसी रीति में किया जाएगा कि वे इस अधिनियम की उपेक्षाओं का अनुपालन करें।

कारागारों और सुधार गृहों की श्रेणियाँ।

5. (1) सरकार विभिन्न प्रवर्गों के कारागार और सुधार संस्थाएं स्थापित कर सकती है, जैसे कि,-

(क) केंद्रीय कारागार;

(ख) जिला कारागार;

(ग) उप-कारागार;

(घ) खुली सुधार संस्थाएं और अर्ध-खुली सुधार संस्थाएं;

(ड़) उच्च सुरक्षा वाले कारागार;

(च) अनन्य रूप से महिला कारागार;

(छ) युवा अपराधियों के लिए संस्था।

(2) सरकार किसी भी प्रवर्ग के कारागारों और सुधार संस्थाओं की संख्या और उनके स्थापित किए जाने वाले स्थान का अवधारण कर सकती है।

(3) सरकार प्रत्येक केंद्रीय और जिला कारागार में उच्च जोखिम वाले बंदियों और आभ्यासिक अपराधियों के लिए, एक पृथक वार्ड या क्षेत्र स्थापित कर सकती है, जहाँ उन्हें अन्य बंदियों के साथ मेलजोल से दूर अलग-अलग प्रकोष्ठों में रखा जा सके, ताकि अन्य बंदियों को उनके नकारात्मक प्रभाव और कट्टरपंथी विचारधारा से बचाया जा सके। जहाँ भी अलग से उच्च सुरक्षा क्षेत्र की व्यवस्था न हो, वहाँ उच्च जोखिम वाले बंदियों और आभ्यासिक अपराधियों को कारागार की पृथक बैरकों या प्रकोष्ठों में अलग रखा जाएगा, जिससे कि उन्हें अन्य बंदियों के साथ मेलजोल से दूर रखने की व्यवस्था होगी।

(4) बंदियों को सुरक्षित और संरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट ऐसी पृथक वास-सुविधा का समुचित, उन्नत, वास्तुकला, डिजाइन और संस्थागत स्वरूप होगा, जैसा विहित किया जाये।

(5) सभी केंद्रीय और जिला कारागारों में उच्च सुरक्षा क्षेत्र के लिए उपयुक्त और उन्नत सुरक्षा अवसंरचना तथा प्रक्रियाएं मौजूद होंगी।

(6) उच्च सुरक्षा कारागार, एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर कारागार परिसर होगा जिसमें गतिशील और सुदृढ़ सुरक्षा प्रणालियाँ होंगी जिसमें एक स्वतंत्र न्यायालय परिसर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपबंध होगा, जिसमें दोषसिद्ध और विचारणाधीन बंदियों को रखा जाएगा, जिन्हें उच्च सुरक्षा अभिरक्षा क्षेत्र में रखने की आवश्यकता है।

कारागार वास्तुकला तथा संस्थागत स्वरूप।

6. (1) किसी कारागार, भूभाग, वायु क्षेत्र, प्रकोष्ठों, बैरकों, स्नानघरों, रसोई, कार्यशालाओं, अस्पतालों या किसी अन्य भवन के निर्माण का संवातन ऐसे मानकों और उपेक्षाओं के अनुरूप होगा, जैसा विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक कारागार के लिए सुरक्षा मानक ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं।

(3) कारागारों का डिजाइन ऐसी रीति में किया जाएगा, जिससे विचारणाधीन बंदियों , दोषसिद्ध बंदियों , उच्च जोखिम वाले बंदियों , आभ्यासिक अपराधियों, अपराधव्यसनी अपराधियों, युवा अपराधियों, नागरिक बंदियों , नजरबंद बंदियों जैसे विभिन्न प्रवर्गों के बंदियों के लिए, जहाँ तक संभव हो, पृथक्करण और अलग-अलग आवास की सुविधा प्रदान की जा सके और महिलाओं, उभयलिंगियो, विकलांग व्यक्तियों, संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों, मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों, मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित व्यक्तियों, वृद्ध बंदियों और किसी अन्य प्रवर्ग जैसे कमजोर समूहों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जैसा विहित किया जाए ।

(4) कारागारों और सुधार संस्थानों की स्थापना में कार्यात्मक अपेक्षाओं के अनुसार कारागार अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवास और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

बंदियों के लिए अस्थायी वास सुविधा।

7. जब भी सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि,-

(i) किसी कारागार में बंदियों की संख्या उसकी सुविधापूर्वक या सुरक्षित रूप से रखी जा सकने वाली संख्या से अधिक है, और अतिरिक्त बंदियों को किसी अन्य कारागार में स्थानांतरित करना सुविधाजनक नहीं है, या

(ii) जब भी किसी कारागार में किसी बीमारी के प्रकोप के कारण, या किसी अन्य कारण से, बंदियों के लिए अस्थायी आश्रय और सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करना वांछनीय हो, सरकार द्वारा निदेश दी गई रीति में, उन बंदियों के आश्रय और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अस्थायी कारागारों की उचित व्यवस्था की जा सकती है, जिन्हें कारागार में सुविधाजनक या सुरक्षित रूप से नहीं रखा जा सकता है।

अध्याय 4
संगठनात्मक व्यवस्था

कारागार और सुधार सेवा निदेशालय।

8. (1) पंजाब राज्य में कारागार और सुधार सेवा निदेशालय होगा, जो सरकार द्वारा अधिकथित कारागार नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा, और विभिन्न कारागारों एवं सुधार सेवाओं तथा उनसे संबंधित और आनुषंगिक मामलों की योजना, संगठन, निदेशन, समन्वय और नियंत्रण करेगा। निदेशालय में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित संख्या में कारागार अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

(2) संस्थागत ढांचा बंदियों को रखने की आवश्यकता और अपेक्षा, बंदी आबादी, कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यभार के अनुसार तय किया जाएगा और कार्यबल में कार्यकारी, मंत्रालीय, तकनीकी, विधिक, खुफिया, गार्डिंग स्टाफ, सुधार अधिकारी और चिकित्सा कार्मिक शामिल हो सकते हैं, जैसा विहित किया जाए।

कारागार और सुधार सेवाओं के प्रमुख।

9. (1) कारागार और सुधार सेवा निदेशालय के प्रशासन के लिए, सरकार कारागार और सुधार सेवा प्रमुख नियुक्त करेगी, जो विभाग प्रमुख होगा। वह राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे विनिर्दिष्ट रूप से प्रदत्त प्रशासनिक, वित्तीय, अनुशासनात्मक शक्तियों और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी विहित की जा सके।

(2) विभाग प्रमुख, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों का पालन करेगा तथा अन्य कारागार अधिकारी और कारागार कर्मचारी विभाग प्रमुख के साधारण पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अधीन कार्य करेंगे।

कारागार के अन्य अधिकारी।

10. (1) राज्य सरकार विभाग प्रमुख को ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए आवश्यक हो, जैसा विहित किया जाए, उतने कारागार अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(2) किसी कारागार इकाई का साधारण प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन प्रभारी अधिकारी के पास निहित होगा तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृंद उसके निदेशन के अधीन ऐसे कर्तव्य और कृत्य करेंगे, जैसा विहित किया जाये।

भर्ती और प्रशिक्षण।

11. (1) कारागार अधिकारियों और कारागार कर्मचारीवृंदों की अहर्ताएं, भर्ती, नियुक्ति, सेवा की शर्तें और प्रशिक्षण ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(2) कारागार अधिकारियों और कारागार कर्मचारीवृंदों के वेतन और अन्य फायदे ऐसे होंगे, जो विहित किये जाएँ।

(3) कारागार अधिकारी और कारागार कर्मचारीवृंदों के प्रत्येक सदस्य को बुनियादी प्रवेश प्रशिक्षण और आवधिक सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक और पेशेवर रूप से निभा सकें।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विभाग प्रमुख, यदि वह उचित समझे, तो विभाग को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए, विशेष और तकनीकी अभिकरणों या किसी वृतिक विशेषज्ञ, चाहे वह व्यक्ति हो या निकाय, की सेवाएं ऐसी शर्तों और नियमों पर किराए पर ले सकता है या रख सकता है, जैसा विहित किया जाये।

(5) यदि विभागीय अधिकारी कुछ पदों के लिए पात्र न हों या कतिपय रैंक के लिए उनकी कमी हो तथा विभाग के सुचारू और प्रभावी कृत्यशीलता के लिए, सरकार अन्य विभागों से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा अधिकारियों या कर्मचारीवृंदों को प्रतिनियुक्त कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।

अध्याय – 5
कारागार अधिकारियों और कर्मचारीवृंदों के कर्तव्य

प्रभारी अधिकारी के कार्य और कर्तव्य।

12. (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, या विभाग प्रमुख के आदेशों और निदेशों के अधीन रहते हुए, प्रभारी अधिकारी कारागार प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में कारागार का प्रबंधन करेगा।

(2) प्रभारी अधिकारी अपने अधीन कारागार और कारागार के सभी उपकरण और मशीनों के उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) प्रभारी अधिकारी अपने पास मौजूद सभी दस्तावेजों, अभिलेखों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में अभिलेख भी शामिल हैं, की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए तथा बंदियों से लिए गए धन और अन्य वस्तुओं के लिए उत्तरदायी होगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा विहित किया जाये।

(4) प्रभारी अधिकारी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे सौंपे गए अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग बंदियों के विनियमन, कारागार का अनुशासन बनाए रखने और कारागार के उचित प्रबंधन, जिसमें उच्च सुरक्षा वार्ड और जोन शामिल हैं, के लिए करेगा।

कारागार अस्पताल, चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारीवृंद।

13. (1) प्रत्येक कारागार में बीमार बंदियों के चिकित्सा देखभाल और उपचार के लिए एक अस्पताल या उचित स्थान होगा।

(2) कारागार की जनसंख्या के अनुरूप, पर्याप्त संख्या में चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधीनस्थ कर्मचारीवृंद होंगे।

कारागार अधिकारियों और कर्मचारीवृंदों के कर्तव्य।

14. सभी कारागार अधिकारी और कर्मचारीवृंद अपने कर्तव्यों का निर्वहन, उन कार्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर करेंगे, जो विहित किये जाएं।

आवश्यक सेवाएं।

15. विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवाएं (रखरखाव) अधिनियम, 1947 (पंजाब अधिनियम संख्याक 1947 का 13) के अधीन विनियमित की जाएंगी।

प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में उनकी शक्तियों का प्रयोग।

16. प्रभारी अधिकारी की अनुपस्थिति में, उसके सभी या कोई भी शाक्तियाँ एवं कर्तव्य ऐसे अन्य अधिकारी(यों) द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे, जैसा विहित किया जाए।

कारागार अधिकारियों और कर्मचारीवृंदों का बंदियों के साथ कोई कारबार व्यौहार नहीं होना चाहिए और न ही कारागार की संविदाओं में उनकी कोई दिलचस्पी होनी चाहिए।

17. कोई भी कारागार अधिकारी या कर्मचारीवृंद किसी बंदी या बंदी के किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कारबार व्यौहार नहीं करेगा, न ही वह किसी कारागार या सुधार गृह के साथ कोई कारबार व्यौहार करेगा, न ही कारागार को खाद्य सामग्री या किसी अन्य वस्तु की आपूर्ति के किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित रखेगा, और न ही वह ऐसी किसी खाद्य सामग्री या वस्तु की बिक्री या खरीद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई फायदा प्राप्त करेगा। वह सेवा के आचरण नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जैसा विहित किया जाये।

कर्मचारी वृंद कल्याण।

18. (1) विभाग प्रमुख, मुख्य कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में एक कर्मचारीवृंद कल्याण विंग की स्थापना करेगा, जो कारागार अधिकारियों और कर्मचारीवृंदों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता करेगा और उसे सलाह देगा।

(2) कारागार अधिकारियों और कारागार कर्मचारीवृंदों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए नियमों के अनुसार पुरस्कृत किया जा सकता है।

अध्याय-6
कारागार प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग

कारागार प्रशासन में प्रोद्योगिकी का उपयोग।

19. (1) राज्य, कारागारों के प्रभावी प्रबंधन और अधीक्षण तथा कारागारों और बंदियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के एकीकरण और समावेशन को सुनिश्चित करेगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रौद्योगिकी, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन निगरानी, जैमर, फुल बॉडी स्कैनर, एक्स-रे आधारित स्कैनर (बड़े और छोटे), बॉडी वियर कैमरे, वॉकी-टॉकी सेट, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, बायोमेट्रिक और आधार प्रमाणीकरण युक्तियाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान युक्तियाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं और कोई अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल हो सकती है।

(2) राज्य संपूर्ण कारागार प्रशासन का कम्प्यूटरीकरण करेगा और डाटाबेस को अंतरसंचालनीय दांडिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करेगा। राज्य सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान के लिए उपयुक्त इंटरफेस भी विकसित करेगा और कारागार एवं बंदी प्रबंधन प्रणाली को सुगम बनाएगा।

(3) वायरलेस संचार युक्तियों के उपयोग और दुरुपयोग पर रोक लगाना। राज्य इसकी जाँच और जांच के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा।

(4) विभाग का अनुसंधान विश्लेषण एवं खुफिया (आरएआई) विंग पंजाब राज्य की जेलों से संबंधित कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी एकत्र करेगा, उस पर कार्रवाई करेगा और उसे संसाधित करेगा। इसे सुचारू और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक खुफिया उपकरण, संसाधन और धन उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) राज्य बंदियों पर अस्थायी रूप से रिहा किए गए बंदियों पर बंदी ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक मोनिटरी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है।

(6) विभाग सक्षम प्राधिकारियों से किसी भी ऐसी हवाई वस्तु, जिनमें ड्रोन या उसके जैसे निगरानी करने वाली युक्ति शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के लिए कारागार स्थापन को "नो-फ़्लाई ज़ोन" घोषित करने का आदेश प्राप्त करेगा, जिससे कारागार स्थापन की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस "नो-फ़्लाई ज़ोन" में कारागार परिसर का पूरा क्षेत्र और कारागार परिसर की बाहरी सीमा से 500 (पाँच सौ) मीटर के दायरे तक का क्षेत्र शामिल होगा।

अध्याय-7
बंदियों का प्रवेश, स्थानांतरण और छोड़ा जाना

बंदियों का दाखिला।

20. (1) प्रभारी अधिकारी, किसी न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा, किसी बंदी को सम्यक रूप से अपनी अभिरक्षा में सौंपे जाने पर, उस बंदी को, किसी रिट, वारंट या आदेश की अत्यावश्यकता के अनुसार, जिसके द्वारा उसे कारागार में भेजा गया है, तब तक अपने पास रखेगा जब तक कि उसे सम्यक विधि से निर्मुक्त या हटाया न जाए।

(2) प्रभारी अधिकारी, ऐसे रिट, वारंट या आदेश के निष्पादन के पश्चात या उसके द्वारा हिरासत में लिए गए बंदी को रिहा करने के पश्चात, उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ उस न्यायालय को लौटा देगा जिसने इसे जारी किया था, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इसे कैसे निष्पादित किया गया है या इसके निष्पादन से पहले हिरासत में लिए गए बंदी को क्यों निर्मुक्त किया गया है।

(3) प्रभारी अधिकारी, किसी भी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधों के अधीन पारित या जारी किए गए किसी भी व्यक्ति के निरोध के लिए किसी भी सजा या आदेश या वारंट को प्रभावी करेगा।

(4) जहां प्रभारी अधिकारी को निष्पादन के लिए उसे भेजे गए वारंट या आदेश की वैधता पर संदेह हो, तो वह पुष्टि के लिए मामले को सम्बद्ध न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

(5) उपरोक्त उपधारा (4) के अधीन निर्देश लंबित रहने तक, बंदी को ऐसी रीति में और ऐसे निर्बंधनों या छूटों के साथ निरोध किया जाएगा, जैसा कि वारंट या आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6) किसी भी व्यक्ति को विधिपूर्ण वारंट प्रस्तुत किए बिना या न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी को संबोधित किसी भी प्रतिबद्धता आदेश से अन्यथा अधीन निरोध के लिए कारागार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किसी बंदी का अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थानांतरण।

21. (1) यदि कोई बंदी पंजाब राज्य की किसी कारागार में कारावास की सजा या मृत्युदंड की सजा के अधीन या जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम या शांति बनाए रखने या अच्छे व्यवहार का आश्वासन के लिए प्रतिभूति न देने के कारण परिरुद्ध है, तो सरकार, अन्य राज्य की सरकार की आपसी सहमति से, आदेश द्वारा उस बंदी को उस कारागार से पंजाब राज्य की किसी कारागार में स्थानांतरित करने या इसके विपरीत करने का उपबंध कर सकती है।

(2) राज्य की सुरक्षा, विधि और व्यवस्था बनाए रखने या जनहित के हित में, विचारणाधीन बंदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए, उन दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक होगी जहां विचारणाधीन बंदी वर्तमान में बंद हैं और उस दूसरे राज्य की भी जहां उन्हें स्थानांतरित किया जाना है, और इसके लिए निचली अदालत का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाएगा।

बंदियों की कारागार में दाख़िल होने, बाहर जाने और दोबारा अंदर आने पर तलाशी और जाँच की जाएगी।

22. (1) जब भी किसी बंदी को कारागार में प्रवेश कराया जाता है, तो उसकी तलाशी ली जाएगी और सभी नकदी, आभूषण, हथियार और प्रतिषिद्ध वस्तुएं या कोई भी अन्य वस्तु जिसे बंदी अपने पास नहीं रख सकता है, उससे ले ली जाएगी और कारागार के प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी।

परन्तु, कि महिला बंदी या उभयलिंगी बंदी की तलाशी उचित रीति में की जाएगी, जैसा विहित किया जाये।

(2) ऐसे प्रत्येक बंदी की जांच उसी दिन, किंतु चौबीस घंटे से अधिक समय के भीतर, चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो बंदी की स्वास्थ्य प्रास्थिति को, जिसमें वर्तमान या अतीत की कोई भी बीमारी शामिल है, अभिलेख में दर्ज करेगा।

(3) प्रत्येक बंदी जो कारागार से बाहर निकलता है या कारागार में फिर से प्रवेश करता है, उसे भी कारागार से बाहर निकलने या कारागार में प्रवेश करने पर प्रत्येक बार तलाशी और शारीरिक एवं बायोमेट्रिक पहचान से गुजरना होगा।

बंदियों की तलाशी।

23. प्रत्येक बंदी किसी भी समय किसी भी प्रतिषिद्ध वस्तु की तलाशी के लिए दायी होगा।

पहचान के प्रयोजन से बंदियों की माप लेना।

24. कोई भी व्यक्ति, जो -

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन दंडनीय हो; या

(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 136 के अधीन उक्त संहिता की धारा 126 या 127 या 128 या 129 के अधीन कार्यवाही के लिए अच्छे आचरण या शांति बनाए रखने के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया हो; या

(ग) किसी भी विधि के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया हो या किसी निवारक निरोध विधि के अधीन हिरासत में लिया गया हो, तो यदि आवश्यक हो, तो वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किसी कारागार अधिकारी द्वारा अपना माप लेने की अनुमति देगा।

आधार का उपयोग।

25. विभाग, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षयित परिदान) अधिनियम, 2016 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 2016 का 18) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार, प्रवेश, स्थानांतरण, रिहाई या कारागार में हिरासत के दौरान स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकेगा।

बंदी की चिकित्सा जांच की जाएगी।

26. प्रत्येक बंदी की चिकित्सकीय जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसमें बंदी की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति बताई जाएगी और तपेदिक, मानव प्रतिरक्षा कमी विषाणु, हेपेटाइटिस सी विषाणु, मादक द्रव्यों के सेवन विकार और ऐसी अन्य पुरानी बीमारियों सहित परीक्षण किए जाएंगे ताकि उसकी पिछली बीमारियों के बारे में पता चल सके और यह भी कि क्या वह किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है।

बंदियों की वस्तुएं।

27. किसी बंदी की सभी मूल्यवान वस्तुएँ, जिनके संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं दिया गया है, और जिन्हें नियमों के अधीन किसी बंदी द्वारा कारागार में लाया जा सकता है या उसके उपयोग के लिए कारागार में भेजा जा सकता है, उन्हें इस संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की हिरासत में रखा जाएगा।

विदेशी बंदियों, जिनमें नज़रबंद लोग भी शामिल हैं का प्रवेश, स्थानांतरण और स्वदेश वापसी।

28. किसी विदेशी बंदी को कारागार में प्रवेश कराने की सूचना प्रभारी अधिकारी द्वारा तुरंत निदेशालय को भेजी जाएगी और उसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी को अग्रेषित किया जाएगा।

अध्याय-8
बंदियों का वर्गीकरण

वर्गीकरण एवं सुरक्षा मूल्यांकन समिति का गठन

29. बंदियों के वर्गीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए, निर्धारित अधिकारियों से युक्त एक समिति का गठन किया जाएगा।

वर्गीकरण के आधार एवं प्रवर्ग

30. (1) वर्गीकरण एवं सुरक्षा मूल्यांकन समिति बंदियों को उनकी आयु, लिंग, सजा की अवधि, आपराधिक इतिहास, कारागार में आचरण, सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी अपेक्षाओं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं तथा सुधारात्मक आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकेगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) बंदियों को निम्नलिखित व्यापक प्रवर्गों के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) सिविल बंदी;

(ख) आपराधिक बंदी;

(ग) दोषसिद्ध बंदी;

(घ) विचाराधीन बंदी;

(ङ) नजरबंद व्यक्ति;

(च) आदतन अपराधी;

(छ) आवर्ती अपराधी;

(ज) उच्च जोखिम वाले बंदी।

(3) उपर्युक्त विभिन्न प्रवर्गों में वर्गीकृत बंदियों को, जहाँ तक व्यावहारिक हो, अलग-अलग बैरकों या परिसरों अथवा प्रकोष्ठों में रखा जा सकेगा, ताकि आदतन या उच्च जोखिम वाले बंदियों के नकारात्मक प्रभाव तथा कट्टरपंथी विचार-प्रक्रिया से अन्य बंदियों की रक्षा की जा सके।

(4) बंदियों को लिंग के आधार पर पुरुष, महिला और उभयलिंगी के रूप में अलग-अलग रखा जाएगा।

(5) उप-धारा (2) में वर्गीकृत बंदियों को निम्नलिखित उप-प्रवर्गों के अधीन भी वर्गीकृत किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) मादक पदार्थों के आदी और शराब के आदी अपराधी;

(ख) पहली बार अपराध करने वाले;

(ग) विदेशी बंदी;

(घ) वृद्ध बंदी;

(ङ) संक्रामक या दीर्घकालिक रोग अथवा अंतिम अवस्था की बीमारी से पीड़ित बंदी;

(च) मानसिक बीमारी से पीड़ित बंदी;

(छ) मृत्युदंड पाए बंदी;

(ज) नज़रबंद

(झ) बच्चों सहित महिला बंदी;

(ञ) युवा अपराधी;

(ट) राजनीतिक बंदी;

(ठ) लोक सेवक।

(6) उच्च जोखिम वाले बंदियों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र, विशेष प्रकोष्ठों अथवा उच्च सुरक्षा वाली जेलों में रखा जाएगा।

(7) प्रभारी अधिकारी, उच्च जोखिम वाले बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरतेगा, जैसा कि विहित किया जाए:

परंतु जाति, धर्म, नस्ल और जन्म-स्थान के आधार पर बंदियों के साथ कोई भेदभाव, वर्गीकरण या पृथक्करण नहीं किया जाएगा।

अध्याय-9
उच्च जोखिम वाले बंदियों, आदतन अपराधियों और कठोर अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा

बंदियों की आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध उचित उपाय करना

31. (1) उच्च जोखिम वाले बंदियों, आदतन अपराधियों और कठोर अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा के लिए सभी उचित उपाय करना विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(2) बंदी द्वारा किए गए अपराध के विवरण, उपलब्ध पृष्ठभूमि अभिलेख और वृत्त पत्रक के आधार पर बंदियों को उनकी प्रवृत्ति और अन्य बंदियों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की संभाव्यता के अनुसार उचित रूप से वर्गीकृत किया जाएगा और अन्य बंदियों पर प्रभाव डालने की संभावना के अनुसार उन्हें अलग-अलग बैरकों या प्रकोष्ठों में रखा जाएगा, जैसा उचित हो।

सुरक्षा, खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी तथा ड्यूटी पर तैनात कारागार कर्मचारियों के चक्रानुक्रम संबंधी विशेष प्रावधान

32. (1) कारागार और सुधारात्मक संस्थान संगठित अपराध तथा निरंतर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे बंदियों पर विशेष निगरानी और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

(2) गतिशील सुरक्षा सुनिश्चित करने, फरार होने की घटनाओं तथा जेलों में अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए, बंदियों से गुप्त जानकारी एकत्र करने, सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने, बंदियों की निगरानी करने और प्रासंगिक जानकारी का विश्लेषण करने हेतु उचित प्रावधान विभाग द्वारा अपने अनुसंधान, विश्लेषण एवं गुप्त (RAI) प्रभाग के माध्यम से तथा राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के समन्वय से किए जा सकेंगे।

(3) ऐसे संवेदनशील बैरकों और प्रकोष्ठों में तैनात कारागार तथा अन्य सुरक्षा कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानांतरण किया जाएगा, ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार के गठजोड़ और मिलीभगत को रोका जा सके।

अध्याय-10
महिला बंदी और उनके बच्चे

महिला बंदियों के लिए पृथक आवास

33. (1) सरकार महिला बंदियों को रखने के लिए, आवश्यकता के अनुसार, पर्याप्त संख्या में विशेष कारागार स्थापित करेगी। जिस कारागार में महिला और पुरुष दोनों बंदी हों, वहाँ महिला बंदियों को अलग भवन या उसी भवन के अलग हिस्से में रखा जाएगा, जिसका प्रवेश द्वार अलग हो, ताकि उनका पुरुष बंदियों से संपर्क न हो। पुरुष बंदियों के लिए उपलब्ध सभी मूलभूत सुविधाएँ महिला बंदियों को भी प्रदान की जाएँगी तथा उनकी लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँगी।

(2) कारागार अस्पताल में महिला बंदियों के लिए पृथक महिला वार्ड बनाया जा सकेगा।

(3) विशेष महिला कारागार तथा महिला परिसर या महिला वार्ड के मामले में केवल महिला कारागार अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। प्रभारी अधिकारी के पद के लिए अपवाद किया जा सकता है। पुरुष अधिकारी और कारागार कर्मचारी ऐसे कारागार परिसर के बाहर की ड्यूटी पर तैनात किए जा सकेंगे तथा उन्हें प्रभारी अधिकारी या ड्यूटी पर अधिकारी द्वारा केवल आपात स्थिति में अंदर बुलाया जा सकेगा।

(4) महिला बंदियों को ऐसी सुधारात्मक सेवाओं और गतिविधियों तक पहुँच प्रदान की जा सकेगी, जो उनकी लिंग-विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हों।

गर्भवती महिला बंदी

34. जब किसी महिला बंदी के कारागार में प्रवेश के समय या उसके बाद गर्भवती होने का पता चले, तो चिकित्सा अधिकारी इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा। उसके लिए यथा विहित चिकित्सीय देखभाल और आहार की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

बच्चों सहित महिला बंदी

35. (1) महिला बंदी अपने बच्चों को कारागार के अंदर तब तक रख सकती हैं, जब तक बच्चा छह वर्ष की आयु के ना हो जाएँ।

(2) कारागार में अपनी माँ के साथ रहने वाले बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल तथा अन्य निर्धारित सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी, जो विहित की जाएं।

अध्याय-11
बंदियों की अभिरक्षा और सुरक्षा

बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा

36. (1) बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करना कारागार के प्रभारी अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(2) विभाग प्रमुख को ऐसी रीति में जो विहित की जाये किसी बंदी को राज्य की किसी अन्य कारागार में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

(3) प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर स्थानीय पुलिस प्राधिकारी किसी बंदी को न्यायालय ले जाने, अस्पताल में दिखाने या अभिरक्षा पैरोल के लिए कारागार प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे।

(4) कारागार अधिकारी ऐसे बंदी को, जिसे आदतन या बार-बार अपराध करने वाला माना गया हो, या जिसने अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया हो अथवा भाग गया हो, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, मादक पदार्थ संबंधी अपराध, हथियार और गोला-बारूद का अवैध कब्जा, अथवा राज्य के विरुद्ध अपराध किया हो, यथा स्थिति, न्यायालय, चिकित्सीय उपचार हेतु अस्पताल या अन्य स्थान पर ले जाते समय हथकड़ी का उपयोग कर सकेगा।

(5) कोई भी कारागार अधिकारी किसी बंदी के विरुद्ध, ऐसी रीति में जो विहित की जाये, दंगा विरोधी उपकरण या आग्नेयास्त्र सहित आवश्यक उपकरण का उपयोग कर सकेगा, जब यह पाया जाए कि बंदी:-

(क) कारागार के बाहरी द्वार या परिसर की दीवार को बलपूर्वक तोड़ने, अकेले या सामूहिक रूप से भागने अथवा उसका प्रयास करने में शामिल है;

परन्तु वह अस्त्र का प्रयोग केवल तभी कर सकेगा जब सामूहिक रूप से भागने अथवा उसका प्रयास जारी रहता है, या

(ख) कारागार अधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा कर रहा है, परन्तु यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि कारागार अधिकारी या अन्य व्यक्ति के जीवन या अंग को खतरा है अथवा उन्हें गंभीर चोट पहुँचने की संभावना है; या

(ग) भाग रहा है या भागने का प्रयास कर रहा है और कारागार अधिकारी या कर्मचारी के पास ऐसा मानने का उचित कारण है।

आगंतुकों, कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों की तलाशी

37. (1) बंदियों से मिलने आने वाले सभी आगंतुकों की ऐसी रीति से तलाशी ली जाएगी जो विहित की जाये।

(2) यदि कोई आगंतुक तलाशी कराने से इंकार करता है, तो उसे कारागार में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा और ऐसा निर्णय अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

(3) महिला, उभयलिंगी या दिव्यांग व्यक्तियों की तलाशी के लिए उचित प्रावधान ऐसे होंगे, जैसा विहित किया जाए।

(4) प्रत्येक कारागार अधिकारी और कर्मचारी की कारागार में प्रत्येक प्रवेश तथा कारागार से प्रत्येक निकास पर तलाशी ली जाएगी।

अध्याय-12
कारागारों में अनुशासन

कारागारों में अनुशासन

38. (1) प्रभारी अधिकारी को कारागार में तथा कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुशासन बनाए रखने का प्राधिकार और उत्तरदायित्व होगा।

(2) कारागारों में अनुशासन प्रवर्तित करने की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

(3) प्रत्येक बंदी का कर्तव्य होगा कि वह कारागार अधिकारी के आदेशों और अनुदेशों का पालन करे तथा इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करे और ऐसे अन्य निदेशों का, जो विहित किये जाएं, अनुपालन करे।

कारागार अपराध

39. (1) कारागार अपराधों को छोटे और गंभीर कारागार अपराधों में वर्गीकृत किया जाएगा।

(2) बंदियों के निम्नलिखित कृत्य छोटे कारागार अपराध होंगे, अर्थात्:-

(i) कारागार में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करने में असफल रहना;

(ii) अन्य बंदियों के मन में अनावश्यक भय या अशांति उत्पन्न करने के उद्देश्य से कोई कार्य करना;

(iii) किसी कारागार अपराध के किए जाने की सूचना देने का लोप करना;

(iv) किसी भी प्रकार का उपताप या रिष्टि करना;

(v) लिखित या मौखिक रूप से गुप्त रूप से संदेश भेजना;

(vi) किसी अन्य बंदी को सोंपे गए भोजन में से खाना या उसका हिस्सा लेना या अपने लिए सोंपे गए हिस्से में भोजन जोड़ना, या भोजन और पेय के वितरण संबंधी आदेश की अवज्ञा करना;

(vii) कार्य के समय आलसी, लापरवाह या उपेक्षापूर्ण रहना, लगातार कार्य करने से इंकार करना, कार्य से बचना, कामचोरी करना, कार्यस्थल या बैरकों में अन्य बंदियों को परेशान करना;

(viii) किसी अन्य बंदी को आबंटित कार्य का कोई भाग करना या किसी अन्य बंदी को अपने कार्य के निष्पादन में अप्राधिकृत सहायता लेना या देना;

(ix) अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के किसी भाग का दूसरे बंदी को सौंपना;

(x) किसी स्थान या वस्तु को गंदा या खराब करना;

(xi) बिना अनुज्ञा नियत क्षेत्र, वार्ड, स्थान या कार्य-समूह को छोड़कर इधर-उधर घूमना या देर तक रहना;

(xii) अपने कपड़े, कंबल, बिस्तर या अन्य वस्तुओं को साफ रखने में लोप करना या इंकार करना व ऐसी वस्तुओं की व्यवस्था या निपटान के संबंध में किसी आदेश का उल्लंघन करना;

(xiii) कारागार के उद्यान में पेड़ों और सब्जियों को नुकसान पहुँचाना या कारागार के पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करना।

(xiv) अपने लिए दिए गए कपड़ों को पहनने से लोप करना या इंकार करना, या उनके किसी हिस्से का अन्य बंदियों के कपड़ों से आदान-प्रदान करना, या उन्हें खोना, नुकसान पहुँचाना या उनका कोई भाग बदलना;

(xv) स्वयं को या अपने कपड़ों, कंबलों, बिस्तर या अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं को साफ़ और स्वच्छतापूर्ण स्थिति में रखने में लोप करना या इंकार करना या शरीर और भौतिक वस्तुओं की सफाई, स्वच्छता को विनियमित करने वाले किसी आदेश की अवज्ञा करना;

(xvi) कपड़ों या व्यक्ति पर लगे या पहने हुए किसी विशिष्ट संख्या, चिह्न या बैज को हटाना, विकृत करना या बदलना;

(xvii) अप्राधिकृत रूप से खाना पकाना।

(3) बंदियों के निम्नलिखित कृत्य गंभीर कारागार अपराध होंगे, अर्थात्:-

(i) जानबूझकर या लापरवाही से कारागार की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालना तथा कारागार की दीवारों, भवन, सलाखों, तालों और चाबियों, लैंप या रोशनी या किसी अन्य सुरक्षा और अभिरक्षा उपाय से किसी प्रकार से छेड़छाड़ करना;

(ii) स्वयं को कोई बीमारी, चोट या निर्योग्यता पहुँचाने के आशय से कोई कार्य करना या प्रयत्न करना जिसके अंतर्गत आत्महत्या का प्रयत्न भी है।

(iii) विधि -व्यवस्था और कारागार अनुशासन बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करना;

(iv) किसी कारागार अपराध को करने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योजना बनाना, उकसाना या दुष्प्रेरण;

(v) व्यवहार के मानकों, नियमों और विनियमों तथा विधिमान्य अनुदेशों और आदेशों का पालन करने से इंकार, लोप करना;

(vi) कारागार अधिकारी या कारागार कर्मचारी को सहायता देने के लिए बुलाये जाने पर असफल रहना या कारागार अधिकारी या आगंतुक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का जानबूझकर असत्य उत्तर देना;

(vii) कारागार अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध झूठी, दुर्भावनापूर्ण और निराधार लिखित या मौखिक शिकायतें करना;

(viii) अन्य बंदियों से झगड़ा करना और बंदियों के बीच भय का वातावरण उत्पन्न करना।

(ix) दूसरों पर हमला करना, मारपीट करना और उन्हें चोट पहुँचाना या कारागार अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करना;

(x) दंगा या विद्रोह में भाग लेना या किसी अन्य बंदी को ऐसा करने के लिए दुष्प्रेरित करना;

(xi) कारागार या विधिमान्य अभिरक्षा से भागना या भागने का प्रयत्न करना या कारागार अधिकारियों को भागने के प्रयत्न के बारे में रिपोर्ट करने में असफल रहना;

(xii) किसी बड़ी वस्तु या भवन से हटाई गई किसी वस्तु या सामग्री को अपने पास रखना, जिसे इस प्रकार परिवर्तित किया गया हो कि उसका उपयोग कारागार की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, अपराध के हथियार के रूप में या कारागार से भागने में सहायता करने के साधन के रूप में किया जा सके;

(xiii) प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध वस्तुओं को रखना, छिपाना, तस्करी करना, तस्करी का प्रयत्न करना, प्राप्त करना, देना या लेना तथा उनका आदान-प्रदान करना;

(xiv) प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध वस्तुओं के संबंध में कारागार अधिकारियों को सूचना देने में असफल रहना;

(xv) किसी सरकारी संपत्ति या अन्य बंदी की वस्तुओं और संपत्ति की चोरी करना, नुकसान पहुँचाना, नष्ट करना, विकृत करना या उनका दुरुपयोग करना;

(xvi) किसी ऐसे नुकसान, टूट-फूट या चोट की तुरंत रिपोर्ट करने में असफल रहना, जो बंदी द्वारा कारागार की संपत्ति या उपकरण को दुर्घटनावश हुए हैं;

(xvii) कारागार के पहचान-पत्रों, अभिलेखों या दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना या उन्हें विकृत करना;

(xviii) छुट्टी और आपातकालीन निर्मोचन की शर्तों का भंग करना;

(xix) भोजन करने से इंकार करना या भूख हड़ताल करना;

(xx) जानबूझकर या लापरवाही से भोजन को नष्ट करना या खराब करना या बिना आदेश के उसे फेंक देना;

(xxi) भोजन या पेय में ऐसी कोई वस्तु मिलाना जिससे वह मानव उपभोग के लिए अरुचिकर, अस्वास्थ्यकर या खतरनाक हो जाए।

(xxii) भोजन के माप-तौल में छेड़छाड़ करना;

(xxiii) कैंटीन के व्यवस्थित संचालन और कैंटीन की वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन करना;

(xxiv) कारागार अधिकारियों की जानकारी या अनुज्ञा के बिना किसी वस्तु का निर्माण करना या निर्माण के दौरान उसमें मिलावट करना;

(xxv) कार्य के लिए जारी सामग्री में किसी बाहरी पदार्थ को मिलाना या जोड़ना;

(xxvi) जानबूझकर श्रम करने में असमर्थ बनना;

(xxvii) किसी बंदी को किसी अन्य धर्म में परिवर्तित करना या परिवर्तित करने का प्रयत्न करना;

(xxviii) जानबूझकर दूसरों की धार्मिक भावनाओं, विश्वासों, प्रथाओं और आस्थाओं को ठेस पहुँचाना;

(xxix) जाति या धार्मिक पूर्वाग्रहों के आधार पर आंदोलन करना या कार्य करना;

(xxx) किसी बाहरी व्यक्ति, विचाराधीन बंदी, निरुद्ध व्यक्ति, सिविल बंदी या अनुमोदित व्यक्ति से बिना अनुज्ञा के लिखित रूप से या मौखिक रूप से या संकेतों द्वारा कोई संचार करना;

(xxxi) जुआ और सट्टेबाजी जैसे अप्राधिकृत कार्यकलापों में भाग लेना या उनका आयोजन करना;

(xxxii) अशिष्ट, अपमानजनक, उद्दंड, धमकीपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग करना; अनादर या अशिष्ट कृत्य या अभद्र कृत्य या हाव-भाव करना;

(xxxiii) किसी भागने के प्रयत्न या दबाई गई हिंसा, हमला, दंगा, विद्रोह, आक्रमण, गंभीर व्यक्तिगत हिंसा या किसी अन्य आपात स्थिति के मामले में सहायता करने में असफल रहना या किसी अन्य व्यक्ति को सहायता करने से रोकना;

(xxxiv) किसी आगजनी, भागने का षड्यंत्र या अभिसंधि, भागने का प्रयत्न या उसकी तैयारी तथा किसी कारागार अधिकारी या बंदी पर हमले या हमले की तैयारी की घटना की जानकारी मिलते ही, उसकी रिपोर्ट करने में लोप करना या इंकार करना।

(xxxv) कारागार परिसर के भीतर या बाहर किसी अप्राधिकृत वित्तीय संव्यवहार में सम्मलित होना या उसकी सहायता करना;

(xxxvi) कारागार परिसर में या अभिरक्षा के दौरान चल या अचल किसी सरकारी संपत्ति की चोरी करना, नुकसान पहुँचाना, नष्ट करना, विकृत करना, दुरुपयोग करना या उसे निष्क्रिय करना;

(xxxvii) किसी कारागार अधिकारी या कर्मचारी की चल या अचल किसी सरकारी संपत्ति या वस्तु की चोरी करना, नुकसान पहुँचाना, नष्ट करना, विकृत करना, दुरुपयोग करना या उसे निष्क्रिय करना, यदि यह किसी अन्य बंदी के साथ मिलकर कारागार के अंदर अव्यवस्था या अशांति उत्पन्न करने या कारागार से भागने के आशय से किया गया हो; और

(xxxviii) यदि कोई छोटा अपराध दो से अधिक बार किया जाता है।

कारागार अपराधों के लिए दंड

40. (1) प्रभारी अधिकारी ऐसी रीति में जो विहित की जाये, जाँच करने के पश्चात कारागार अपराधों के संबंध में कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा और उसे बंदी के वृत्त पत्रक में अभिलिखित करेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन या कोई अन्य विशेष और/या स्थानीय विधि के अधीन अपराध हों, प्रभारी अधिकारी विधिक कार्रवाई आरंभ करेगा।

(2) निम्नलिखित दंड छोटे दंड माने जाएंगे, अर्थात्:-

(i) औपचारिक चेतावनी, जिससे बंदी को व्यक्तिगत रूप से दी गई चेतावनी अभिप्रेत है;

(ii) पंद्रह दिन से अनधिक की अर्जित छूट की जब्ती;

(iii) एक कैलेंडर मास में अधिकतम तीन दिन तक मजदूरी से अर्जित आय की जब्ती;

(iv) पंद्रह दिन तक प्रतिदिन एक घंटे से अनधिक की अवधि के लिए ड्रिल या कार्य का दंड, बंदी की शारीरिक योग्यता के अधीन होगा, जैसा कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए;

(v) निरोध में बंदी को दिए गए विशेषाधिकारों की अधिकतम नब्बे दिन की अवधि के लिए हानि।

(vi) श्रम के रूप को पंद्रह दिन के लिए गंभीर रूप में परिवर्तित करना;

(vii) प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई ऐसी अवधि के लिए आवास को किसी अन्य बैरक, कोठरी या किसी अन्य कारागार आवास में आवास परिवर्तन;

(viii) साठ दिन तक की अवधि के लिए पृथक कारावास;

(ix) विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से अन्य कारागारों में अंतरण; और

(x) दो या अधिक छोटे दंडों का संयोजन।

(3) निम्नलिखित दंडों को प्रमुख दंड माना जाएगा, अर्थात्:-

(i) पंद्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए अर्जित छूट की जब्ती;

(ii) किसी कैलेंडर मास में तीन दिन से अधिक और सात दिन तक की मजदूरी से अर्जित आय की जब्ती;

(iii) नब्बे दिन से अधिक किंतु एक सौ आठ दिन से अनधिक के लिए विशेषाधिकारों की जब्ती;

(iv) साठ दिन से अधिक किंतु नब्बे दिन तक की अवधि के लिए पृथक कारावास;

(v) तीस दिन तक की अवधि के लिए कोठरी कारावास;

(vi) एक वर्ष तक पैरोल सुविधा का अपवर्जन करना;

(vii) एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए छूट प्रणाली से अपवर्जन; और

(viii) प्रमुख और लघु दंडों का कोई संयोजन।

(4) प्रभारी अधिकारी केवल न्यायिक मूल्यांकन के पश्चात प्रमुख दंड दे सकेगा। प्रभारी अधिकारी के अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रमुख दंड देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) धारा 42 से 48 में विनिर्दिष्ट दंडों के होते हुए भी, प्रभारी अधिकारी कारागार में अनुशासन बनाए रखने के लिए उक्त धाराओं के अधीन किए गए अपराधों के लिए बंदी को इस धारा में विनिर्दिष्ट कोई भी दंड दे सकेगा।

स्पष्टीकरण.- कोठरी कारावास से ऐसा कारावास अभिप्रेत है जिसमें बंदी को कोठरी में ऐसी रीति में बंद रखना कि उसे आधे दिन की तालाबंदी की अवधि के दौरान पृथक-पृथक कोठरियों में बंद अन्य बंदियों के साथ संवाद और संपर्क, जिसके अंतर्गत भोजन साझा करना और अन्य पारस्परिक क्रिया भी है, करना अनुजात हो।

सज़ा देने की प्रक्रिया

41. कारागार अपराध के लिए दंड देने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी निर्धारित की जाए।

वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस या उसके पुर्ज़ों को रखने या इस्तेमाल करने की सज़ा

42. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई बंदी, आगंतुक, कारागार अधिकारी या कारागार कर्मचारी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में, किसी तारयुक्त या बेतार संचार उपकरण या उसके घटकों जैसे सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, बैटरी, चार्जर, हेडफोन या डोंगल अथवा ऐसे उपकरण के किसी अन्य घटक को रखने, चलाने या उपयोग करने का दोषी पाया जाता है, अथवा कोई बंदी या अन्य व्यक्ति उसकी आपूर्ति में सहायता, उकसावा या प्रेरणा देता है, उसे प्रथम दोषसिद्धि पर किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु तीन वर्ष तक हो सकती है, और वह एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा; तथा दूसरी या बाद की दोषसिद्धि पर किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु पांच वर्ष तक हो सकती है, और वह पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) यदि बंदी तारयुक्त या बेतार संचार उपकरण का उपयोग कारागार परिसर के अंदर या बाहर किसी अपराध का प्रयास करने, सहायता करने, षड्यंत्र करने या अपराध करने के लिए करता पाया जाता है और उसके परिणामस्वरूप अपराध किया जाता है, तो उसे किए गए अपराध के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 में उपबंधित कारावास से दंडित किया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन दी गई सजा बंदी द्वारा पहले से भुगती जा रही किसी सजा के पूरा होने के बाद भुगती जाएगी।

(4) उप-धारा (1) में उल्लिखित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

दंगा करने का दंड

43. जो बंदी कारागार परिसर के अंदर दंगा करने का दोषी पाया जाता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु पांच वर्ष तक हो सकती है, और वह एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

हमले या आपराधिक बल प्रयोग के लिए दंड।

44. (1) जो कोई बंदी किसी कारागार अधिकारी या कर्मचारी पर उसके कर्तव्य के निर्वहन के दौरान हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, अथवा कारागार अधिकारी या कर्मचारी को अपना कर्तव्य करने से रोकने या हतोत्साहित करने के आशय से ऐसा करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु तीन वर्ष तक हो सकती है, और वह पचास हजार रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) जो कोई बंदी कारागार परिसर में किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु तीन वर्ष तक हो सकती है, और वह पचास हजार रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

कारागार से भागने का दंड।

45. जो कोई बंदी कारागार परिसर में विधिसम्मत अभिरक्षा से भागता है या भागने का प्रयास करता है, या किसी बंदी को ऐसी अभिरक्षा से भागने में सहायता करता है, या ऐसे भागे हुए बंदी को आश्रय देता या छिपाता है, अथवा उसके भागते समय उसे पुनः पकड़ने में किसी प्रकार का प्रतिरोध करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो दो वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु दस वर्ष तक हो सकती है, और वह पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

कारागार की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली रिष्टि के लिए दंड

46. जो कोई बंदी किसी कारागार संपत्ति को गलत हानि या क्षति पहुंचाने के आशय से, या यह जानते हुए कि उससे ऐसी हानि या क्षति होने की संभावना है, किसी कारागार संपत्ति को नष्ट करता है या उसमें अथवा उसकी स्थिति में ऐसा परिवर्तन करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाए अथवा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वह कारागार संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाली रिष्टि करता है और उसे किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु पांच वर्ष तक हो सकती है, और वह दस लाख रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

कारागार अधिकारी या स्टाफ़ आदि को आपराधिक रूप से डराने-धमकाने के लिए दंड।

47. (1) जो कोई बंदी किसी कारागार अधिकारी या कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य को कारागार परिसर के अंदर या बाहर आपराधिक धमकी देता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु तीन वर्ष तक हो सकती है, और उस पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(2) जो कोई बंदी किसी कारागार अधिकारी या कर्मचारी अथवा उनके परिवार को मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर, या आग से किसी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देकर, या मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास अथवा सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध करने की धमकी देकर आपराधिक धमकी का अपराध करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु दस वर्ष तक हो सकती है, और वह पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

स्प्रिटयुक्त लिकर, तंबाकू या किसी अन्य नशीले या ज़हरीले पदार्थ को अंदर लाने या बाहर ले जाने के लिए दंड।

48. जो कोई कारागार में निम्नलिखित प्रतिषिद्ध वस्तुओं में से किसी को लाता है, किसी कारागार से बाहर ले जाता है, किसी बंदी को कारागार की सीमाओं के बाहर उपलब्ध कराता है, या प्राप्त करता, रखता या हस्तांतरित करता है, अर्थात्:-

(i) सभी प्रकार की स्प्रिटयुक्त लिकर; या

(ii) तंबाकू और उसके सभी ऐसे उत्पाद जो धूम्रपान, चबाने या सूंघने के लिए उपयोग किए जाते हैं या किए जाने के लिए अभिप्रेत हैं; या

(iii) किसी भी रूप में कोई मादक या विषैला पदार्थ, जो स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 61) या विष अधिनियम, 1919 (1919 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 12) के अंतर्गत नहीं आता, उसे प्रथम दोषसिद्धि पर किसी भी प्रकार के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो तीन वर्ष तक हो सकेगी, और वह जुर्माने का भी दायी होगा; तथा दूसरी या बाद की दोषसिद्धि पर किसी भी प्रकार

के कारावास से ऐसी अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी, परंतु सात वर्ष तक हो सकती है, और वह पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

49. (1) धारा 43, 44, 45, 46, 47 और 48 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

(2) बंदी धारा 43, 44, 45, 46, 47 और 48 के अधीन दिया गया दंडादेश अपने वर्तमान दंडादेश पूरा करने के बाद भुगतेगा।

(3) धारा 43, 44, 45, 46 और 47 में उल्लिखित अपराध, जहां तक वे इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 में उन्हें दिया गया है।

कारागार के नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

50. यदि कारागार परिसर में कोई व्यक्ति गंभीर कारागार अपराध का दोषी है, और उसके द्वारा तीन से अधिक बार ऐसे अपराध किए जाने के कारण या अन्यथा, अधिकारी-प्रभारी की राय में, वह इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा लगाए जा सकने वाले किसी दंड से पर्याप्त रूप से दंडनीय नहीं है, तो अधिकारी-प्रभारी ऐसे बंदी का मामला परिस्थितियों के विवरण सहित अधिकारिता रखने वाले सक्षम मजिस्ट्रेट को भेजेगा; और ऐसा मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप का विचारण करेगा तथा दोषसिद्धि होने पर उसे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक के कारावास की सजा दे सकेगा। ऐसी अवधि उस अन्य अवधि के अतिरिक्त होगी जिसे ऐसा बंदी पहले से भुगत रहा हो।

कारागार में अपराधों और शास्तियों का प्रदर्शन

51. अधिकारी-प्रभारी कारागार के अंदर किसी प्रमुख स्थान पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक सूचना लगवाएगा, जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध कृत्यों और उनके किए जाने पर होने वाले दंड का उल्लेख होगा, ताकि बंदियों तथा कारागार अधिकारियों और कारागार कर्मचारियों को इसकी जानकारी हो।

अध्याय- 13
स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

बंदियों के स्वास्थ्य की देखभाल

52. सभी बंदियों को, जैसा निर्धारित किया जाए, पर्याप्त और लैंगिक-संवेदनशील स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी।

मानसिक स्वास्थ्य

53. (1) सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, धारा 103 में उल्लिखित बोर्ड की पूर्व अनुमति से, किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त बंदी को निरोध स्थान से राज्य के किसी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकती है।

(2) इस धारा के अंतर्गत बंदी के स्थानांतरण की विधि, तौर-तरीके और प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी निर्धारित की जाए।

बंदी की मृत्यु पर रिपोर्ट

54. किसी बंदी की मृत्यु होने पर चिकित्सा अधिकारी मामले के सभी सुसंगत विवरण और विशेषताएं, जैसा निर्धारित किया जाए, तत्काल अधिलिखित करेगा और रिपोर्ट कारागार के अधिकारी-प्रभारी को भेजेगा, जो उसे आगे विभाग प्रमुख तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा, जैसा निर्धारित किया जाए।

अध्याय-14
बंदियों के कल्याण कार्यक्रम

55. (1) बंदियों को अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने तथा कारागार में पुस्तकालय सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए। व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएँ।

(2) सुधारात्मक सेवा के भाग के रूप में बंदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। ये कार्यक्रम बंदियों के पुनर्वास की सुविधा के लिए विविध प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(3) अधिकारी-प्रभारी बंदियों के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

56. (1) सभी स्वस्थ और कार्य करने में सक्षम बंदी, जो अन्यथा कारागार सेवाओं में नियोजित नहीं हैं, को कार्यशालाओं और कारागार कारखानों में कार्य आवंटित किया जाएगा। कारागारों के कारखाने और बंदियों का रोज़गार।

(2) सभी प्रकार के कारागार श्रम, कार्य आवंटन और कारागार उद्योगों के प्रबंधन के प्रावधान ऐसे होंगे, जैसे निर्धारित किए जाएं।

57. बंदियों , कारागार अधिकारियों, कारागार कर्मचारियों और जनता को उत्पादों, जिनमें कारागार उत्पाद भी शामिल हैं, की बिक्री के लिए कारागार में कैंटीन और बिक्री केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जैसा निर्धारित किया जाए। कैंटीन और बिक्री केंद्रों की स्थापना।

अध्याय-15
दंडादेश योजना

58. (1) उपचार कार्यक्रम को निर्धारित करने वाली एक दंडादेश योजना अधिकारी-प्रभारी द्वारा तैयार की जाएगी, जो बंदी के पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण में सहायक होगी, जैसा निर्धारित किया जाए। अलग-अलग दंडादेश की योजना बनाना।

(2) व्यक्तिगत सजा योजनाएं बंदी के अभिलेख में समय-समय पर अभिलिखित और अद्यतन की जाएंगी।

59. (1) प्रत्येक बंदी, जिसमें विचाराधीन बंदी, सिविल बंदी या साधारण कारावास का दंडादेश पाया बंदी भी शामिल है, को अभिरक्षा में रहते हुए, यदि कार्य उपलब्ध हो, कार्य करने का अवसर दिया जा सकता है और निर्धारित अनुसार उसके अनुरूप मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। बंदियों की कौशल के आधार पर मजदूरी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। कार्य कार्यक्रम और मजदूरी।

(2) किसी बंदी द्वारा अर्जित और खर्च की गई मजदूरी का अभिलेख, स्थगित मजदूरी का विवरण तथा उससे संबंधित अन्य विषय अधिकारी-प्रभारी द्वारा रखा जाएगा।

(3) अधिकारी-प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि कारागारों में किसी भी कर्तव्य या कार्य के आवंटन में बंदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए।

(4) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 25) के उपबंध कारागारों में बाध्यकारी प्रभाव रखेंगे। कारागार के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर अथवा सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई की अनुमति नहीं होगी।

अध्याय-16
खुले और अर्ध-खुले सुधारात्मक संस्थान

खुले और अर्ध-खुले सुधार संस्थान।

60. (1) सरकार बंदियों के लिए आवश्यकता के अनुसार जितने खुले और अर्ध-खुले सुधारात्मक संस्थान आवश्यक हों, उन्हें स्थापित और बनाए रखेगी।

(2) सरकार ऐसे खुले या अर्ध-खुले सुधारात्मक संस्थानों में ऐसी सुविधाएं या रियायतें प्रदान करेगी जो बंदी के समाज में पुनर्वास में सहायता कर सकें, जैसा निर्धारित किया जाए।

(3) खुले और अर्ध-खुले संस्थानों के प्रबंधन के नियम, जिनमें ऐसे सुधारात्मक संस्थानों में स्थानांतरित किए जा सकने वाले बंदियों की प्रक्रिया और पात्रता, तथा स्थानांतरण की किसी शर्त का उल्लंघन करने वाले बंदियों से निपटने की प्रक्रिया शामिल है, ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जाएं।

अध्याय-17
कारागार अवकाश, रियायत/माफी और समयपूर्व रिहाई

पैरोल और फरलो।

61. पात्र दोषसिद्ध बंदियों को पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) अधिनियम, 1962 (1962 का पंजाब अधिनियम संख्या 11) तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, अर्थात् पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) नियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार कारागार अवकाश दिया जाएगा।

बंदियों की सजा में छूट

62. पात्र दोषसिद्ध बंदी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जैसा निर्धारित किया जाए, रियायत/माफी दी जा सकती है।

समय से पहले रिहाई

63. सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंधों के अधीन आजीवन कारावास पाए बंदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए नियम बनाएगी।

अध्याय-18
साक्षात्कार और संचार

इंटरव्यू और बातचीत।

64. (1) बंदी अपने आगंतुकों, अर्थात् परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और विधिक परामर्शदाता से, कारागार अधिकारी/अधिकारियों और कारागार कर्मचारियों की उचित निगरानी और पर्यवेक्षण के अधीन, भौतिक या आभासी माध्यम से संवाद कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में कारागार का अधिकारी-प्रभारी किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी अनुमति दे सकता है, जिसका नाम बंदी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक सूची में उल्लिखित नहीं है। बंदियों के आगंतुकों का दस्तावेजी और बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से सत्यापन या प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(2) बंदी के प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, फोटो, आधार प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक पहचान अभिलेख में अधिलिखित की जाएगी, जैसा कि निर्धारित किया जाए।

(3) विदेशी बंदी अपने परिवार के सदस्यों, कानूनी परामर्शदाता और वाणिज्यदूतावास के प्रतिनिधियों से, जैसा निर्धारित किया जाए, संवाद कर सकते हैं।

अध्याय-19
कारागारों का निरीक्षण

कारागारों का निरीक्षण।

65. (1) सरकार अधिसूचना द्वारा जिला और उप-मंडल स्तर पर आधिकारिक और गैर-आधिकारिक सदस्यों वाले आगंतुक निरीक्षण बोर्ड का गठन करेगी, जिसका उद्देश्य कारागारों का दौरा और निरीक्षण करना होगा।

(2) विभाग प्रमुख जहां तक संभव हो, प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार कारागारों का दौरा और निरीक्षण करेगा तथा वह समय-समय पर, जैसा निर्धारित किया जाए, उपयुक्त रैंक के किसी अधिकारी से किसी कारागार का निरीक्षण करा सकता है।

(3) जिले का मजिस्ट्रेट अपने जिले की सीमाओं के भीतर स्थित प्रत्येक कारागार का दौरा और निरीक्षण करने के लिए बाध्य होगा।

(4) सरकार किसी अन्य अधिकारी को कारागारों का दौरा करने और निरीक्षण करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

(5) निरीक्षणकर्ताओं और निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारियों के कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।

अध्याय – 20
देखभाल एवं पुनर्वास सेवाएँ

देखभाल के बाद की और पुनर्वास सेवाएँ।

66. सरकार कारागार से रिहा हुए सभी जरूरतमंद बंदियों को पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें निःसंरक्षण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर सकती है।

अध्याय-21
ट्रांसजेंडर बंदी

ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए विशेष उपबंध

67. ट्रांसजेंडर बंदियों , जिनमें ट्रांस पुरुष और ट्रांस महिलाएं दोनों शामिल हैं, के कल्याण और उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपबंध किए जाएंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

अध्याय-22
प्रकीर्ण

दंडादेश का निष्पादन

68. किसी बंदी दंडादेश के निष्पादन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा विहित किया जाये।

अपील, पुनरीक्षण और याचिकाएँ।

69. अपील, पुनरीक्षण या याचिका दायर करने के इच्छुक सभी बंदियों को सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इसके लिए प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाये।

साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता।

70. कारागार का प्रभारी अधिकारी, निर्धारित तरीके से, कारागार की उचित स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेगा।

कारागार की ज़मीन का उपयोग।

71. कारागार का प्रभारी अधिकारी कारागार की सुरक्षा दीवारों के भीतर उपलब्ध भूमि के साथ-साथ सुरक्षा दीवारों के बाहर कारागार की भूमि का उपयोग इस प्रकार करेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

कारागार रजिस्टर, कार्यालय प्रक्रिया और प्रबंधन।

72. कारागार का प्रभारी अधिकारी डिजिटल और भौतिक प्रारूप में संबंधित कारागार रजिस्टर और अभिलेखों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा और कारागार के प्रभावी प्रबंधन के लिए निर्धारित सभी प्रक्रियाओं को अपनाएगा।

वर्दी, साजो-सामान और आयुध सामग्री।

73. (1) प्रत्येक कारागार अधिकारी और कारागार कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट या निर्धारित किए जाने के अनुसार उचित वर्दी और बैज पहनेंगे।

(2) शस्त्रों और गोला-बारूद की आपूर्ति और उसका रखरखाव, जिसमें मरम्मत भी शामिल है, ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सके।

मौत की सज़ा पाए बंदी।

74. राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत मृत्युदंड प्राप्त बंदियों को कारागारों में रखने और उनके मृत्युदंड के अनुवर्ती निष्पादन के लिए नियम बनाएगी।

विधिक सहायता।

75. सरकार विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 39) के उपबंधों और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण या राज्य विधि सेवा प्राधिकरण या जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार या जैसा निर्धारित किया जाए, बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा प्रदान करेगी।

प्रत्येक ज़िले के लिए विचाराधीन बंदियों की समीक्षा समिति का गठन।

76. प्रत्येक जिले के लिए एक विचाराधीन समीक्षा समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे, और जिसमें ऐसे अन्य सदस्य होंगे तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेंगे, जैसा कि विहित किया जाये।

शिकायत निवारण तंत्र।

77. बंदियों, कारागार अधिकारियों और कारागार कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र होगा, जैसा कि विहित किया जाये।

बंदियों की सेवाओं का उपयोग।

78. प्रभारी अधिकारी, कारागारों के दैनिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए, विहित रीति से, बंदियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

हड़ताल और आंदोलन पर रोक।

79. किसी भी बंदी, आगंतुक या कारागार में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनुरोध या मांग को पूरा करने के लिए कारागार के अंदर हड़ताल करने या कोई आंदोलन शुरू करने या जारी रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आपातकाल।

80. प्रभारी अधिकारी कारागारों में किसी भी आपातकालीन स्थिति को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा, जिसमें आवश्यक उपकरणों की खरीद और आकस्मिक योजना तैयार करना शामिल है, साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया दल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और पंजाब सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम, 2019 (2019 का पंजाब अधिनियम संख्या 12), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 53) या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम और किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों या निर्देशों के अनुरूप कोई अन्य प्रावधान भी शामिल है।

बंदियों की कारागार के बाहर अभिरक्षा, नियंत्रण और रोज़गार।

81. किसी बंदी को जब किसी ऐसे कारागार में ले जाया जा रहा हो या वहां से लाया जा रहा हो जिसमें उसे विधिक रूप से रखा जा सकता है, या किसी न्यायालय में प्रस्तुति के लिए या किसी अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए ले जाया जा रहा हो, या जब वह किसी ऐसे कारागार की सीमा से बाहर काम कर रहा हो या किसी अन्य प्रकार से उस कारागार के किसी अधिकारी या कर्मचारी की विधिक अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, या ऐसे कर्तव्य के लिए तैनात किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, तो उसे कारागार में माना जाएगा और वह सभी निर्देशों और अनुशासन के अधीन होगा, मानो वह वास्तव में कारागार में हो।

कारागार विकास बोर्ड।

82. (1) राज्य, बंदियों के बेहतर प्रबंधन, सुधारात्मक एवं सुधारात्मक गतिविधियों और कारागार अधिकारी एवं कारागार कर्मचारियों के कल्याण के लिए कारागार अवसंरचना एवं सुविधाओं के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक कारागार विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है।

(2) ऐसे बोर्ड की संरचना, उसके उत्तरदायित्व, शासन का तरीका और अन्य उपबंध ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जाएं।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

83. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग एवं निष्पादन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा जिन्हें सरकार इस संबंध में नामनिर्दिष्ट करे।

खाते और अंकेक्षण।

84. प्रत्येक कारागार के खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षा इस प्रकार की जाएगी, जैसा कि विहित किया जाए।

विकलांग बंदियों के लिए अधिकार और सुविधाएँ।

85. (1) किसी भी बंदी के साथ विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी विकलांग बंदियों को अन्य बंदियों के समान समानता, गरिमा और सम्मान का अधिकार होगा।

(2) सभी कारागार अवसंरचना, जिसमें कोठरियाँ, शौचालय, चिकित्सा इकाइयाँ, शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र तथा शिकायत निवारण प्रणाली शामिल हैं, ऐसे मानकों के अनुसार सुलभ बनाई जाएँगी, जैसा कि विहित किया जाए।

(3) विकलांग व्यक्तियों को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँगी, जिनमें मनोरोग और मनोवैज्ञानिक सेवाएँ, साथ ही पुनर्वास कार्यक्रमों और चिकित्साओं तक पहुँच शामिल है।

(4) प्रवेश के समय सभी नए बंदियों की विकलांगता की जांच की जाएगी। उपयुक्त आवास और सहायता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कारागार अभिलेखों में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को दर्शाया जाना चाहिए।

सद्भावनापूर्वक से की गई कार्रवाई का संरक्षण।

86. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में सरकार या सरकार के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति।

87. सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है।

निरसन और व्यावृत्ति।

88. (1) कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 9) और बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 3), जो पंजाब राज्य पर लागू थे, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू सभी नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएँ, कारागारों से संबंधित, इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत या विरोधाभासी होने की स्थिति को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा परिवर्तित, संशोधित या निरस्त किए जाने तक लागू रहेंगे।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

89. (1) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न होते हुए, ऐसे उपबंध कर सकती है या ऐसे उपाय कर सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले की किसी तारीख से प्रभावी नहीं होगा।

हस्ताक्षर /-
बी.बी.एस. तेजी,
पंजाब सरकार के प्रधान सचिव,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2026

S.O. 6090(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Prisons and Correctional Services Act, 2026 (Punjab Act No. 9 of 2026), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Punjab Prisons and Correctional Services Act, 2026, as extended to the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the said Act),—

 (a) for the words "State of Punjab" wherever they occur, the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted;

 (b) for the words "State Government" wherever they occur, the word "Government" shall be substituted.

2. In section 1 of the said Act, in sub-section (1), after the words and figures "Services Act, 2026", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

3. In section 2 of the said Act,—

 (a) for clause (9), the following clause shall be substituted, namely:—

 '(9) "Department" means the Department of Prisons and Correctional Administration, Union territory of Chandigarh;';

 (b) for clause (14), the following clause shall be substituted, namely:—

 '(14) "Government" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;';

 (c) for clause (15), the following clause shall be substituted, namely:—

 '(15) "habitual offender" means a person who, during any continuous period of five years, has, on more than two occasions, been convicted of offences committed on different occasions and not forming part of the same transaction and has been sentenced to imprisonment for such offences, where such convictions or sentences have not been set aside on appeal or revision:

 Provided that in computing the said continuous period of five years, any period spent in prison under a sentence of imprisonment or in detention shall not be taken into account;";

 (d) for clause (16), the following clause shall be substituted, namely:—

'(16) "Head of Department" means the Inspector General of Prisons, Union territory of Chandigarh, or such other officer as may be notified by the Government from time to time;';

(e) for clause (33), the following clause shall be substituted, namely:—

'(33) "State" means the Union territory of Chandigarh;'.

4. In section 19 of the said Act, in sub-section (6), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the operation of an aerial object within the "No-Fly Zone" may be undertaken only with such permission as may be required from the competent authority under the law governing civil aviation and with the prior approval of the Department.".

5. For section 21 of the said Act, the following section shall be substituted, namely:—

"21. Transfer of prisoner to another State or Union territory.— (1) Where a prisoner is confined in a prison in the Union territory of Chandigarh under a sentence of imprisonment or death, or in default of payment of a fine or of giving security for keeping the peace or maintaining good behaviour, the Government may, with the consent of the Government of the other State or Union territory concerned, by order, provide for the transfer of such prisoner to a prison in that State or Union territory, or for the transfer of a prisoner from a prison in that State or Union territory to a prison in the Union territory of Chandigarh.

(2) In the interest of the security of the Union territory of Chandigarh, maintenance of law and order or public interest, an under-trial prisoner may be transferred from the Union territory of Chandigarh to another State or Union territory with the consent of the Governments concerned and with the approval of the court before which the trial is pending.".

6. In section 80 of the said Act, for the words, figures and brackets "Punjab Transparency in Public Procurement Act, 2019 (Punjab Act No. 12 of 2019)", the words and figures "General Financial Rules, 2017" shall be substituted.

7. In section 85 of the said Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(5) Prison staff shall undergo regular training to sensitise them to the rights and needs of prisoners with disabilities and to equip them to provide appropriate care and assistance to such prisoners.".

[F. No. U-11015/2/2026-UTL]

P. MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

APPENDIX

PUNJAB GOVT. GAZ.(EXTRA), MAY 21, 2026

(VYSK 31, 1948 SAKA)

PART-I

GOVERNMENT OF PUNJAB

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 21st May, 2026

No.10-Leg./2026.- The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 15th day of May, 2026, is hereby published for general information :-

THE PUNJAB PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES ACT, 2026

(Punjab Act No.9 of 2026)

AN

ACT

to provide for the detention of prisoners committed to prison custody, and for their reformation and rehabilitation, with a view to ensure safe detention and maintain minimum standards of treatment of prisoners consistent with the principles of individual dignity, and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Seventy- seventh Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Punjab Prisons and Correctional Services Act, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the State of Punjab.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act, and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(1) "after-care service" means any activity aimed at financial rehabilitation and social integration of released prisoners into the main stream of society;

(2) "civil prisoner" means any prisoner who is not a criminal prisoner;

(3) "competent authority" means any officer having jurisdiction and due legal authority to deal with a particular matter in question;

(4) "convict" means any prisoner who has been sentenced for any term by a court of law or tribunal or court martial;

(5) "correctional service" means any service that is provided pursuant of this Act, and includes services related to the assessment, supervision, treatment, training, control, custody, reformation or rehabilitation of prisoners;

(6) "criminal prisoner" means any prisoner duly committed to custody under the writ, warrant or orders of any court exercising criminal jurisdiction or court martial and includes a person detained in prison under the provisions of chapter IX of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023) and the Prisoners Act, 1900 (Central Act No. 3 of 1900);

(7) "Court" includes any officer lawfully exercising civil, criminal or revenue jurisdiction;

(8) "detenue" means any person detained in prison on the orders of the competent authority under the relevant laws providing for preventive detention;

(9) "Department" means the Department of Prisons and Correctional Services, Punjab;

(10) "Directorate" means the Directorate of Prisons and Correctional Services of the State of Punjab;

(11) "family" means the spouse, children including legally adopted children, parents, siblings, grandparents and grandchildren. In the absence of these member(s), it shall include parents-in-law, siblings-in-law, children's spouse, parents' sibling of the prisoner. In the context of transgender prisoners, if there is no immediate family then, it shall include people related through socio-religious family system;

(12) "foreign prisoner" means any prisoner who is not a citizen of India;

(13) "geriatric prisoner" means a prisoner who is sixty-five years of age or above and medically unable to manage his daily affairs independently without assistance;

(14) "Government" means the Government of the State of Punjab in the Department of Prisons and Correctional Services;

(15) "Habitual Offender" shall have the same meaning as assigned to it in the Punjab Habitual Offenders (Control and Reform) Act, 1952 (Punjab Act No. 12 of 1952);

(16) "Head of Department" means the Director General, Prisons and Correctional Services, Punjab or such other officer, as may be notified by the Government, from time to time;

(17) "high-risk prisoner" means a prisoner with high propensity towards violence, escape, self-harm, disorderly behavior and likely to create unrest in the prison and threat to public order. It shall also include persons intermittently suffering from suicidal tendencies and persons with substance related and addictive disorders and those engaged in organized crime, major drug traffickers and smugglers, violent or religious fundamentalists, naxalites, extremists, hired assassins, contract killers, dacoits, serial killers, criminals involved in violent rape incidents, violent robberies, communal fanatics, prisoners prone to escape from prison, involved in organized contraband smuggling inside prison, offenders involved in attack on police or prison

personnel, and terrorist activities or any other identifiable threat to other prisoners; or any prisoner having specific, identifiable threat to life;

(18) "history ticket" means the ticket, either in physical or electronic form, exhibiting all relevant information in respect of a prisoner;

(19) "Internee" means a foreigner prisoner who has completed his sentence and is awaiting deportation to the home country;

(20) "Magistrate" means any person exercising all or any of the powers of a Magistrate under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;

(21) "medical officer" means a qualified Government medical practitioner deputed as a medical officer of a prison;

(22) "medical subordinate staff" includes a qualified Medical Assistant, such as Pharmacist, Nurse, Lab Technician, counsellor or psychiatrist deputed in a prison;

(23) "measurements" includes physical, biological, medical and biometric samples and their analysis, but not limited to finger-impressions, palm-print impressions, foot-print impressions, photographs, iris scan, body fluid samples; and behavioural attributes including signatures, handwriting, voice sampling or any other examination referred to in sections 51 or 52 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;

(24) "offence" means any act of commission or omission made punishable by any law or under the rules made under this Act, for the time being in force;

(25) "officer in charge" means a prison officer appointed by the Government as in-charge of a prison, namely Superintendent or Deputy Superintendent or officers on deputation or such other officer of the Department, as may prescribed;

(26) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(27) "prison and correctional institution" means any place used permanently or temporarily under the general or special orders of the Government for the detention of persons including under-trial prisoners, preventive detenues, convicted prisoners, civil prisoners or any other person as ordered by a court or a competent authority, and for the aftercare and rehabilitation of convicted persons, and includes all lands and buildings appurtenant thereto, but does not include, -

(a) any place for the confinement of prisoners who are exclusively in the custody of the police;

(b) any place specially appointed by the Government under

section 457 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;

(c) any observation home, special home, children's home, shelter home, place of safety, under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Central Act No. 2 of 2016) and protective home for women set up by the State Government;

(28) "prisoner" means any person confined under the order, writ or warrant of a competent authority;

(29) "prison officer" means an officer appointed by the Government and includes officer-in-charge and officers of any other security force or any other service deployed in the prison for assisting the prison administration for the safe custody of prisoners and providing correctional services to the prisoners;

(30) "prison staff" means an employee appointed by the Directorate or the Government, other than a prison officer, who exercises powers or performs duties or functions related to prison administration or as may be assigned by the Government;

(31) "prohibited article" means an article, the introduction or removal of which into or out of a prison is prohibited by this Act or rules made under this Act or by any other law or by any notification issued by the Government;

(32) "recidivist" means an offender who has committed another crime after the first one;

(33) "State" means the State of Punjab;

(34) "under-trial prisoner" means a person who is not a convict and has been committed to judicial custody pending investigation by the police or a trial by a court of competent jurisdiction;

(35) "visitor" means any person, other than a prisoner, prison officer or prison staff, who is permitted by the Government or by such duly empowered authorities to visit the prison;

(36) "wireless communication device" includes mobile phone, drone, wi-fi device, computer, laptop, palmtop, tablet, watches, satellite phone, portable radios and their use for communication like verbal, non-verbal, internet, General Packet Radio Service or any such device

which is available for similar purpose or any such item duly notified as wireless communication device by the Government; and

(37) "young offender" means a prisoner who has attained the age of eighteen years and has not attained the age of twenty-one years.

CHAPTER-II

FUNCTIONS OF PRISONS AND CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Functions of prisons and correctional institutions.

3. The functions of prisons and correctional institutions shall be as follows, namely:-

(i) to keep prisoners in safe custody;

(ii) to take suitable measures for the safety and security of prisoners;

(iii) to provide the prisoners with food, clothing, accommodation, other necessities and medical treatment;

(iv) to provide correctional services to the prisoners with the objective of rehabilitating them in the society as law abiding citizens;

(v) to maintain discipline in the prison in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder;

(vi) to adopt measures,-

(a) to put the prisoners sentenced to rigorous imprisonment to labour;

(b) to put the prisoners to vocation-oriented labour; and

(c) to put the prisoners on activities in prison like cooking, sanitary services, gardening, or any other job on a roster basis;

and

(vii) to provide such other facilities and amenities to the prisoners, as may be prescribed.

CHAPTER-III

PRISON ACCOMMODATION

Accommodation for prisoners.

4. The Government shall provide sufficient number of prisons and correctional institutions in the State of Punjab for accommodating the prisoners, which may be constructed and maintained in such manner so as to comply with the requirements of this Act.

Categories of prisons and correctional institutions.

5. (1) The Government may establish various categories of prisons and correctional institutions, such as,-

(a) Central Prisons;

(b) District Prisons;

(c) Sub Prisons;

(d) Open Correctional Institutions and Semi-Open Correctional Institutions;

(e) High Security Prisons;

(f) Exclusive Women Prisons;

(g) Institution for Young Offenders.

(2) The Government may determine the number of prisons and correctional institutions of any category and the place at which these may be established.

(3) The Government may establish in each Central and District Prison, a separate Ward or Zone for High-Risk Prisoners and habitual offenders, where they may be lodged separately in cells without the scope of mingling with other prisoners so as to protect other prisoners from their negative influence and radicalized thought process. Wherever there is no provision of a stand-alone High Security Zone, high risk prisoners and habitual offenders shall be segregated and lodged in separate barracks or cells of the prison, which shall have a provision of keeping them away from mingling with other prisoners.

(4) Such separate accommodation as referred to in sub-section (3) shall have such appropriate advanced architecture, design and institutional

pattern, as may be prescribed, for keeping prisoners in a safe and secure custody.

(5) Appropriate and advanced security infrastructure and procedures shall be in place for High Security Zone in all Central and District Prisons.

(6) High Security Prison shall be an independent self-sufficient prison complex with dynamic and strengthened security systems with provision for an independent Court complex and Video Conferencing facility to house convicted and under-trial prisoners, who need to be kept in a high security custody area.

Prison architecture and institutional pattern.

6. (1) The pattern of construction of a prison, ground space, air space, ventilation of cells, barracks, bathing places, kitchen, work-sheds, hospitals or any other building shall conform to such standards and requirements, as may be prescribed.

(2) The standards of security for each prison shall be such, as may be prescribed.

(3) Prisons may be designed in such a manner so as to facilitate segregation and separate lodging, as practicable, for various categories of prisoners such as under-trial prisoners, convicted prisoners, high risk prisoners, habitual offenders, recidivist prisoners, young offenders, civil prisoners, detenues and for attending to special needs of vulnerable groups such as women, transgenders, persons with disabilities, persons suffering from contagious disease, persons suffering from mental illness, persons suffering from substance abuse, geriatric prisoners, and any other category, as may be prescribed.

(4) The setup of prisons and correctional institutions shall include accommodation and other facilities for the prison officers and other staff as per functional requirement.

Temporary accommodation for prisoners.

7. Whenever it appears to the Government that,-

(i) the number of prisoners in a prison is greater than that can conveniently or safely be kept therein, and it is not convenient to transfer the excess number to any other prison, or

(ii) whenever due to the outbreak of any disease in any prison, or for any other reason, it is desirable to provide for temporary shelter and for the safe custody of prisoners, appropriate provision for

temporary prisons may be made, in such manner as the Government may direct, for the shelter and safe custody of as many prisoners that cannot be conveniently or safely kept in a prison.

CHAPTER-IV

ORGANISATIONAL SET UP

Directorate of Prisons and Correctional Services.

8. (1) There shall be a Directorate of Prisons and Correctional Services in the State of Punjab, which shall be responsible for implementing the prison policies laid down by the Government, and shall plan, organize, direct, coordinate and control various prisons and correctional services and matters connected therewith and incidental thereto. The Directorate shall consist of such number of prison officers and staff, as may be prescribed by the State Government from time to time.

(2) The institutional setup shall be decided in accordance with the need and requirement of accommodating the prisoners, the prisoner population, workload of prison officers and staff and the workforce may include executive, ministerial, technical, legal, intelligence, guarding staff, correctional officers and medical personnel, as may be prescribed.

Head of Prisons and Correctional Services.

9. (1) For the administration of Directorate of Prisons and Correctional Services, the Government shall appoint the Head of Prisons and Correctional Services who shall be the Head of Department. He shall exercise such administrative, financial, disciplinary powers and such other powers specifically conferred upon him by the State Government from time to time or as may be prescribed.

(2) The Head of Department shall exercise the powers and perform duties under this Act and other prison officers and staff of prisons shall work under the general supervision, control and direction of the Head of Department.

Other officers of prisons.

10. (1) The State Government shall appoint as many prison officers as may be necessary to assist the Head of Department for performing such duties, as may be prescribed.

(2) The general administrative control and management of a prison unit shall vest with the officer-in-charge and other officers and staff shall exercise or perform such duties and functions under his direction, as may be prescribed.

Recruitment and training.

11. (1) The qualifications, recruitment, appointment, conditions of service and training of the prison officers and prison staff shall be such, as may be prescribed.

(2) Salaries and other benefits of prison officers and prison staff shall be such, as may be prescribed.

(3) Every member of the prison officer and prison staff shall be provided basic induction training and periodic in-service training to enable them to perform their duties efficiently and professionally.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, the Head of Department may, if he so deems appropriate, hire or engage the services of specialized and technical agencies or any professional expert, whether a person or body for running the department efficiently, on such terms and conditions, as may be prescribed.

(5) In case the departmental officers are not eligible or in shortage for certain ranks and for smooth and effective functioning of the department, the Government may depute officers or staff by transfer or on deputation from other departments, as it may deem fit.

CHAPTER-V

DUTIES OF PRISON OFFICERS AND STAFF

Functions and duties of officer-in- charge.

12. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder or under orders and directions of the Head of Department, the officer- in-charge shall manage the prison in all matters related to prison administration.

(2) The officer-in-charge shall be responsible for the proper upkeep of the prison and all equipment and machinery of the prison under his charge.

(3) The officer-in-charge shall be responsible for the safe custody of all documents, records, including records in electronic format, in his care and for the money and other articles taken from prisoners, and perform such other duties and discharge such other functions as may be prescribed.

(4) The officer-in-charge shall exercise such disciplinary powers as assigned to him under this Act or the rules made thereunder, for regulation of prisoners, maintaining prison discipline and proper management of the prison, including high security wards and zones.

Prison hospital and medical officer and staff.

13. (1) In every prison there shall be a hospital or a proper place for reception and treatment of sick prisoners.

(2) There shall be sufficient number of medical officer(s) and medical subordinate staff in consonance with the population of the prison, as may be prescribed.

Duties of prison officers and staff.

14. All prison officers and staff shall discharge their duties based on the functions and responsibilities, as may be prescribed.

Essential services.

15. Services rendered by the employees of the department shall be regulated under the East Punjab Essential Services (Maintenance) Act, 1947 (Punjab Act No. 13 of 1947).

Exercise of powers of officer-in- charge in his absence.

16. All or any of the powers and duties of an officer-in-charge shall, in his absence, be exercised and performed by such other officer(s), as may be prescribed.

Prison officers and staff not to have business dealings with prisoners and interest in prison contracts.

17. No prison officer or staff shall have any business dealing with any prisoner or any relative or friend of a prisoner, directly or indirectly, nor shall he have any business dealings with any prison or correctional institution or have any interest, direct or indirect, in any contract for supply of provisions or any other articles to the prison nor shall he derive any benefit, directly or indirectly, from the sale or purchase of any such provisions or articles. He shall be bound by the conduct rules of the service, as may be prescribed.

Staff Welfare.

18. (1) The Head of Department shall establish a staff welfare wing to be headed by the Chief Welfare Officer, to aid and advise the Government in the implementation of welfare measures for prison officers and staff.

(2) The prison officers and prison staff may be rewarded as per the rules for outstanding work done by them in discharge of their duties.

CHAPTER-VI

USE OF TECHNOLOGY IN PRISON ADMINISTRATION

Use of technology in prison administration.

19. (1) The State shall ensure integration and embedding of appropriate technology for the effective management and superintendence of prisons and for the safety and security of prisons and the prisoners, which may include Artificial Intelligence based technology, Closed Circuit Television surveillance, jammers, Full Body Scanners, X-ray based Scanners (Large and Small), Body Worn Cameras, Walkie-talkie sets, Non linear junction detectors, Biometric and aadhaar authentication devices, Radio Frequency Identification Devices, Video Conference facilities, and any other modern technology.

(2) The State shall computerize the entire prison administration and integrate the database with the Interoperable Criminal Justice System. The State shall also develop suitable interfaces for seamless sharing of information and facilitate the Prison and Prisoner Management System.

(3) The State shall use advanced technologies to check and prohibit use and misuse of wireless communication devices.

(4) Research Analysis and Intelligence (RAI) wing of the department shall gather, process and work on actionable intelligence related to prisons of the State of Punjab. It shall be provided with required intelligence tools, resources and funds for its smooth and effective functioning.

(5) The State may use electronic monitoring technology on prisoners under temporary release from prison, by making use of prisoner tracking devices.

(6) The Department shall obtain from the competent authorities, a declaration notifying a “No-Fly Zone” in respect of any aerial object,

including but not limited to drones or similar surveillance devices, which may pose a threat to the security of any prison establishment. The said “No-Fly Zone” shall encompass the entire area of the prison complex and extend up to a radius of 500 (five hundred) meters beyond the outer perimeter of the prison complex.

CHAPTER-VII

ADMISSION, TRANSFER AND DISCHARGE OF PRISONERS

Admission of prisoners.

20. (1) The officer-in-charge shall receive and detain a prisoner duly committed to his custody, under this Act or otherwise, by any Court or any competent authority, according to the exigency of any writ, warrant or order by which such prisoner has been committed to the prison until such prisoner is discharged or removed in due course of law.

(2) The officer-in-charge shall, after the execution of such writ, warrant or order or after discharge of the prisoner committed thereby, return the same to the court by which it was issued, with a duly signed certificate, showing how the same has been executed or why the prisoner committed thereby has been discharged from custody before execution thereof.

(3) The Officer-in-charge shall give effect to any sentence or order or warrant for the detention of any person, passed or issued by any court or competent authority, under the provisions of any law for the time being in force.

(4) Where an officer-in-charge doubts the legality of a warrant or order sent to him for execution, he shall refer the matter to the concerned Court or any other competent authority for confirmation.

(5) Pending a reference made under sub-section (4) above, the prisoner shall be detained in such manner and with such restrictions or mitigations, as may be specified in the warrant or order.

(6) No person shall be admitted into a prison for detention otherwise than under the production of a lawful warrant or under any order of commitment addressed to the officer-in-charge by a Court or any other competent authority.

Transfer of a prisoner to another State or Union Territory.

21. (1) Where any prisoner is confined in a prison in the State of Punjab under a sentence of imprisonment or under sentence of death or in default of payment of a fine or in default of giving security for keeping peace or for maintaining good behaviour, the Government may, with the mutual consent of the Government of other State, by order, provide for the transfer of the prisoner from that prison to any prison in the State of Punjab or vice versa.

(2) In the interest of security of the State, maintenance of law and order, or public interest, the transfer of under-trial prisoners from the State to another State shall be carried out with the consent of both the States, where the under-trial prisoners are currently lodged and other State to which they are to be transferred, and, the approval of the trial court shall be obtained.

Prisoners to be searched and examined on admission, exit and re-entry.

22. (1) Whenever a prisoner is admitted into a prison, he shall be searched and all cash, jewellery, weapons and prohibited articles or any other article which a prisoner cannot retain with him shall be taken from him and retained in safe custody of the officer-in-charge of the prison or an officer authorized by him:

Provided that a woman prisoner or a transgender prisoner shall be searched in an appropriate manner, as may be prescribed.

(2) Every such prisoner shall be examined, on the same day but not later than twenty four hours, by the medical officer, who shall enter in a record, the health status of the prisoner, including any illness, present or past.

(3) Every prisoner who leaves a prison or re-enters a prison shall also undergo search and physical and biometric identification upon each such exit from or entry into prison.

Search of prisoners.

23. Every prisoner shall be liable to be searched at any time for detection of any prohibited article.

Taking measurements of prisoners for the purpose of identification.

24. Any person, who has been,-

(a) convicted of an offence punishable under any law for the time being in force; or

(b) ordered to give security for his good behaviour or maintaining peace under section 136 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, for a proceeding under sections 126 or 127 or 128 or 129 of the said Sanhita; or

(c) arrested in connection with an offence punishable under any law for the time being in force or detained under any preventive detention law, shall, if so required, allow his measurement to be taken by a prison officer in such

manner, as may be prescribed by the Central Government or the State Government.

Use of Aadhaar.

25. The Department may utilize Aadhaar authentication, on a voluntary basis, at the time of admission, transfer, release, or during custody in prison, in accordance with the provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No. 18 of 2016) and the rules made thereunder and the notification(s) issued by the Government of India in this behalf, from time to time.

Prisoner to be medically examined.

26. Every prisoner shall be examined medically by the medical officer stating general health conditions of the prisoner and such tests, including Tuberculosis, Human Immuno Deficiency Virus, Hepatitis C Virus, substance use disorder and such other chronic diseases shall be conducted to know about his past sickness and whether he suffers from any chronic health problems.

Articles of prisoners.

27. All valuable articles of a prisoner, in respect whereof no order of a competent court has been made, and which, under the rules, may, be brought into a prison by any prisoner or sent to the prison for his use, shall be placed in the custody of the officer authorized by the officer-in-charge in this behalf.

Admission, transfer and repatriation of foreign prisoners including internees.

28. The information of admission of a foreign prisoner in a prison shall be sent by the officer-in-charge forthwith to the Directorate and forwarded to the Ministry of External Affairs, Government of India, or any other agency, as may be specified by the Central Government.

CHAPTER-VIII

CLASSIFICATION OF PRISONERS

Composition of Classification and security Assessment Committee.

29. A Committee shall be constituted for classification and security assessment of prisoners, comprising such officers, as may be prescribed.

Grounds of classification and categories.

30. (1) The Classification and Security Assessment Committee may classify the prisoners admitted into a prison according to their age, gender, length of sentence, criminal history, conduct in prison, safety and security requirements, physical and mental health needs, and correctional needs, as may be prescribed.

(2) The prisoners shall be classified under the following broad categories, namely:-

(a) civil prisoners;

(b) criminal prisoners;

(c) convicted prisoners;

(d) undertrial prisoners;

(e) detenues;

(f) habitual offenders;

(g) recidivists;

(h) high risk prisoners.

(3) The prisoners classified into different categories as above, as practicable, may be lodged in separate barracks or enclosures or cells with a view to protect other prisoners from negative influence and radicalized thought process of the habitual or high risk prisoners.

(4) The prisoners shall be segregated gender-wise male, female and transgender, and lodged separately.

(5) The prisoners classified in sub-section (2) may be further classified under the following sub-categories, namely:-

(a) drug addicts and alcoholic offenders;

(b) first time offenders;

(c) foreign prisoners;

(d) geriatric prisoners;

(e) prisoners suffering from infectious or chronic diseases or terminal illness;

(f) prisoners suffering from mental illness;

(g) prisoners sentenced to death;

(h) internees;

(i) women prisoners with children;

(j) young offenders;

(k) political Prisoners;

(l) public servants.

(6) High-risk prisoners shall be accommodated in High Security Zone, special cells or High Security Prisons.

(7) The officer-in-charge shall take special care and caution for ensuring safe and secure custody of high-risk prisoners, as may be prescribed:

Provided that there shall be no discrimination, classification and segregation of prisoners on the basis of caste, religion, race and place of birth.

CHAPTER-IX

PROTECTION OF SOCIETY FROM CRIMINAL ACTIVITIES OF HIGH- RISK PRISONERS, HABITUAL OFFENDERS AND HARDENED CRIMINALS

Taking appropriate measures against criminal activities of prisoners.

31. (1) It shall be the responsibility of the department to take all appropriate measures for protecting the society from criminal activities of high-risk prisoners, habitual offenders and hardened criminals.

(2) Based on the details of the crime committed by the prisoner, available background record and history ticket, prisoners shall be suitably classified, assessed for their propensity and potential to negatively influence

other prisoners and be housed in separate barracks or cells, as may be appropriate.

Special provisions for security, intelligence gathering, surveillance and rotation of prison staff on duty.

32. (1) Prisons and Correctional Institutions shall ensure special watch and surveillance on such prisoners for preventing organized crime and continued criminal activities.

(2) For ensuring dynamic security, preventing escapes, instances of disorder and criminal activity in prisons, appropriate provision for intelligence gathering from prisoners, careful observation, monitoring of prisoners and analysis of the relevant information may be done by the department through its Research Analysis and Intelligence (RAI) Wing and in coordination with the State and Central Intelligence agencies.

(3) The prison and other security staff deployed in such sensitive barracks and cells shall be rotated at periodic intervals to prevent any nexus and complacency in security.

CHAPTER-X

WOMEN PRISONERS AND THEIR CHILDREN

Separate accommodation for women prisoners.

33. (1) The Government shall establish such number of exclusive prisons for women prisoners, as it may consider necessary, to accommodate women prisoners. In a prison, housing both women and men prisoners, women prisoners shall be kept in a separate building or a separate part of the same building, with a separate entrance, in such a manner that they do not come into contact with men prisoners. All basic facilities as provided in the prison for men, may also be provided to women prisoners, along with such other facilities that meet their gender specific needs.

(2) A separate female ward in the prison hospital may be created for women prisoners.

(3) In case of exclusive women prison and women enclosure or female ward, only women prison officers and staff shall be deputed. Exception

shall be made for the officer-in-charge. Male prison officers and prison staff may be deployed for duties outside such prison enclosure and may be called inside by the officer-in-charge or the officer- on duty, only in case of any situation of emergency.

(4) Women prisoners may be provided access to correctional service and activities which take into account their gender specific needs.

Pregnant women prisoners.

34. When a woman prisoner is found to be pregnant at the time of admission or later, the medical officer shall report the fact to the officer-in-charge. Necessary arrangements shall be made for providing her medical care and diet, as may be prescribed.

Women prisoners with children.

35. (1) Women prisoners may keep their children inside the prison until the child attains the age of six years.

(2) A child living with his mother in prison may be provided with health-care and such other facilities, as may be prescribed.

CHAPTER-XI

CUSTODY AND SECURITY OF PRISONERS

Safe custody and security of prisoners.

36. (1) The officer-in-charge of the prison shall be responsible to undertake effective measures for ensuring safe custody and security of prisoners.

(2) The Head of Department shall be empowered to transfer a prisoner to any other prison in the State in such manner, as may be prescribed.

(3) On the request of the officer-in-charge, the local police authorities shall provide necessary assistance to the prison authorities, for escorting a prisoner to a court or for visit to hospital or for custody parole.

(4) The prison official may use handcuff while producing such person, who is a habitual or repeat offender, or who escaped or attempted to escape from custody, or who has committed offence of organized crime, terrorist act, drug related crime, or illegal possession of arms and ammunition, or offence against the State, before the court, to the hospital for medical treatment or any other place, as the case may be.

(5) Any prison officer may use requisite equipment, including anti-riot equipment or firearms, against any prisoner, in such manner, as may be prescribed, when the prisoner is found to be,-

(a) engaged in any combined outbreak or attempt to force or break open the outer gate or enclosure wall of the prison individually or collectively provided that he may use the weapon only if such a combined outbreak or attempt continues; or

(b) using violence against prison officer or staff or other person provided that there is reasonable ground to believe that the prison officer or any other person is in danger of loss of life or limb or that serious injury is likely to be caused to them; or

(c) escaping or attempting to escape and the prison officer or staff has reasonable cause to believe so.

Search of visitors, prison officers and staff.

37. (1) All visitors to prisoners shall be searched in such manner, as may be prescribed.

(2) In case any visitor refuses to get searched, the visitor shall be denied admission to the prison and such decision shall be entered into record.

(3) Appropriate provisions for search of visitors who are women, transgender or persons with disabilities shall be such, as may be prescribed.

(4) All prison officers and staff shall be searched upon each entry to the prison and each exit from the prison.

CHAPTER-XII

DISCIPLINE IN PRISONS

Discipline in prisons.

38. (1) The officer-in-charge shall have the authority and shall be responsible for maintaining discipline in the prison and amongst the prisoners, prison officers and staff, in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(2) The manner of enforcing discipline in the prisons shall be such, as may be prescribed.

(3) It shall be the duty of every prisoner to obey the orders and instructions of a prison officer and to abide by the provisions of this Act and to comply with such other directions, as may be prescribed.

Prison offences.

39. (1) Prison offences shall be classified into minor and serious prison offences.

(2) Following acts of the prisoners shall constitute minor prison offences, namely:-

(i) failing to assist in maintenance of prison discipline;

(ii) doing any act with the aim to create unnecessary alarm in the minds of other prisoners;

(iii) omitting to report the commission of any prison offence;

(iv) committing nuisance or mischief of any sort;

(v) sending messages surreptitiously by writing or verbally;

(vi) eating or apportioning any food not assigned to him or taking from or adding to the portions assigned to another prisoner, disobeying any order as to the issue and distribution of food and drink;

(vii) being idle, careless or negligent at work, contumaciously refusing to work, malingering, disturbing other prisoners at work, or in barracks;

(viii) performing any portion of the task allotted to another prisoner or obtaining unauthorized assistance of another prisoner in the performance of one’s own task;

(ix) apportioning to any prisoner any part of the task to be performed by him;

(x) soiling or befouling any place or article;

(xi) loitering or lingering, leaving the appointed area, ward, place in the file or work-group without permission;

(xii) omitting or refusing to keep clean his clothing, blankets, bedding or disobeying any orders as to the arrangement or disposition of such articles;

(xiii) damaging the trees and vegetables in the garden of the prison, or maltreating the prison cattle;

(xiv) omitting or refusing to wear the clothing given to him, or exchanging any portion of it for the clothing of other prisoners or losing, discarding, damaging, or altering any part of it;

(xv) omitting or refusing to keep oneself or his clothing, blankets, bedding or other personal articles, in a clean and hygienic condition, or disobeying any order regulating the cleanliness, hygiene of body and material goods;

(xvi) removing, defacing, or altering any distinctive number, mark or badge attached to, or worn on the clothing or person; and

(xvii) unauthorized cooking.

(3) Following acts of the prisoners shall constitute serious prison offences, namely:-

(i) endangering the security of the prison in any way, by a willful or negligent act and shall include tampering in any way with the prison walls, building, bars, locks and keys, lamps or lights or with any other security and custody measure;

(ii) doing or omitting to do any act with an intent to cause to oneself any illness, injury or disability, including attempt to suicide;

(iii) obstructing in maintaining law and order and prison discipline;

(iv) planning, instigating and abetting, directly or indirectly, the commission of any prison offence;

(v) refusing, omitting to abide by standards of behaviour, rules and regulations and lawful instructions and orders;

(vi) failing to give assistance to a prison officer and prison staff when called to do so, or answering untruthfully any question put up by a prison officer or a visitor;

(vii) making false, malicious and groundless, written or verbal, complaints against prison officers and staff;

(viii) quarrelling with other prisoners, creating an environment of fear amongst the prisoners;

(ix) attacking, assaulting, and causing injuries to others, use of criminal force against prison officers or others;

(x) participating in a riot or mutiny, abetting another prisoner to do the same;

(xi) escaping or attempting to escape from prison or legal custody or failing to report to prison officers about attempted escapes;

(xii) possessing any object or material removed from any larger object or from a building, which has been altered in such a manner that it can be used for damaging prison property or as a weapon of offence or as an implement to assist in escape from prison;

(xiii) possessing, hiding, smuggling, attempting to smuggle, obtaining, giving or receiving and bartering contraband or prohibited articles;

(xiv) failing to report to prison officials about contraband or prohibited articles;

(xv) stealing, damaging, destroying, disfiguring or misappropriating any Government property or another prisoner's articles and property;

(xvi) failing to report at once, any loss, breakage or injury, which the prisoner may accidentally have caused to prison property or implements;

(xvii) tampering with or defacing identity cards, records or documents of the prison;

(xviii) breach of conditions of leave and emergency release;

(xix) refusing to eat food or going on a hunger-strike;

(xx) willfully or negligently destroying or spoiling food, or throwing it away without orders;

(xxi) introducing into food or drink anything likely to render it unpalatable, unwholesome, or dangerous for human consumption;

(xxii) tampering with scale of food;

(xxiii) violating rules and regulations framed for systematic running of the canteen and bartering canteen articles;

(xxiv) manufacturing any article without the knowledge or permission of prison officials or causing adulteration during manufacturing;

(xxv) mixing or adding a foreign substance to the materials issued for work;

(xxvi) willfully disabling from labour;

(xxvii) converting, or attempting to convert, a prisoner to a different

religious faith;

(xxviii) willfully hurting other's religious feelings, beliefs, practices,

and faiths;

(xxix) agitating or acting on the basis of caste or religious prejudices;

(xxx) having any communication, in writing or by word or by signs, without permission, with any outsider, an under-trial prisoner, detenus, civil prisoners, and approvers;

(xxxi) participating in or organizing, unauthorized activities like gambling and betting;

(xxxii) using indecent, abusive, insolent, threatening or improper

language; being disrespectful, making indecent or vulgar acts or gestures;

(xxxiii) failing to assist, or preventing another person from assisting,

prison officers in case of an attempted escape or suppressing violence, assault, riot, mutiny, attack, gross personal violence or any other emergencies;

(xxxiv) omitting or refusing to report, as soon as it comes to his

knowledge, the occurrence of any fire, plot or conspiracy for any escape, attempt or preparation to escape, and any attack, or preparation for attack, upon any prison officer or prisoner;

(xxxv) indulging in or assisting in any unauthorised financial

transaction, whether within the premises of the prison or without;

(xxxvi) stealing, damaging, destroying, disfiguring, misappropriating

or making dysfunctional any government property, whether movable or immovable, on the prison premises or while in custody outside the prison;

(xxxvii) stealing, damaging, destroying, disfiguring, misappropriating or making dysfunctional any government property or property of any prison officer or staff, whether movable or immovable, by a prisoner in association/conspiracy with other prisoners with intent to cause disorder or disturbance inside the prison or with intent to escape from prison; and

(xxxviii) in case a minor offence is committed more than twice.

Punishment for prison offences.

40. (1) The officer-in-charge may, after conducting an inquiry in such manner, as may be prescribed, impose any punishment with respect to the prison offences and record the same in the prisoner's history ticket. Besides, in cases which constitute an offence under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or any other special and/or local laws, the officer-in-charge shall initiate legal action.

(2) The following punishments shall be considered as minor punishments, namely:-

(i) formal warning, which shall mean a warning personally addressed to a prisoner;

(ii) forfeiture of remission earned, not exceeding fifteen days;

(iii) forfeiture of earning from wages upto three days in a calendar month;

(iv) punishment of drill or work for a period not exceeding one hour a day up to fifteen days subject to the prisoner's physical fitness, as may be certified by the medical officer;

(v) loss of privileges given to the prisoner in detention for a maximum period of ninety days;

(vi) change of form of labour to severe form for fifteen days;

(vii) change of accommodation to another barrack, cell or any other prison accommodation for such period, as deemed necessary by the officer-in-charge;

(viii) separate confinement for a period upto sixty days;

(ix) transfer to other prisons with the approval of the Head of Department; and

(x) a combination of two or more minor punishments.

(3) The following punishments shall be considered as major punishments, namely:-

(i) forfeiture of remission earned, exceeding fifteen days;

(ii) forfeiture of earnings from wages beyond three days and upto seven days in a calendar month;

(iii) forfeiture of privileges beyond ninety days but not exceeding one hundred eight days;

(iv) separate confinement beyond sixty days but not more than ninety days;

(v) cellular confinement for a period of up to thirty days;

(vi) exclusion of parole facility for upto one year;

(vii) exclusion from remission system for a period of one hundred eighty days; and

(viii) any combination of major and minor punishments.

(4) The officer-in-charge may award major punishment(s) only upon judicial appraisal. No officer subordinate to the officer-in-charge shall have the power to award major punishment.

(5) Notwithstanding the punishments specified in sections 42 to 48 the officer-in-charge may also award any punishment for the offences committed under the said sections, to the prisoner, as specified in this section, to maintain discipline in the prison.

Explanation.-Cellular confinement means the confinement of a prisoner in a cell in such a manner that the prisoner is permitted to communicate and associate with other prisoners confined in separate cells, including the sharing of meals and other interactions, during a half-day period of lockout.

Procedure for award of punishment.

41. The procedure for award of punishment for prison offence shall be such, as may be prescribed.

Punishment for possessing or using wired or wireless communication device or its components

42. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, whoever, being a prisoner or a visitor or a prison officer or prison staff, in contravention of any provisions of this Act or rules made thereunder, is found guilty of possessing, operating or using a wired or wireless communication device or its components like sim card, memory card, battery or charger or headphone or dongle or any other component of such a device or if the prisoner or any other person assists or abets or instigates in the supply thereof, shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees; and be punished on second or subsequent conviction with

imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years, and shall also be liable to fine which may extend to five lakh rupees.

(2) If the prisoner is found using the wired or wireless communication device for attempting, abetting, conspiring or committing an offence inside or outside the jail premises and as a consequence thereof an offence is committed, he shall be punished with imprisonment provided in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 for the offence so committed.

(3) The prisoner shall undergo the sentence awarded under sub- section (1) on completion of any sentence if already undergoing.

(4) The offences mentioned in sub-section (1) above, shall be cognizable and non-bailable.

Punishment for rioting.

43. Any prisoner who is found guilty of rioting inside the premises of a prison, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to five years, and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees.

Punishment for assault or criminal force.

44. (1) Any prisoner who assaults or uses criminal force to any prison officer or staff in execution of his duty or with intent to prevent or deter the prison officer or staff from discharging his duty, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to fifty thousand rupees.

(2) Any prisoner who assaults or uses criminal force to any person in the prison premises, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to fifty thousand rupees.

Punishment for escaping from a prison.

45. Any prisoner who escapes, or attempts to escape, or aids or assists any prisoner in escaping from lawful custody in the prison premises, or harbours or conceals any such prisoner who has escaped from lawful custody of a prison, or offers or attempts to offer any resistance to the recapture of such prisoner while escaping, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which may extend to five lakh rupees.

Punishment for mischief causing damage to prison property.

46. Any prisoner, who, with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to any prison property, or causes the destruction of any prison property or any such change in any prison property or in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously, commits mischief causing damage to prison property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to five years, and shall also be liable to fine which may extend to ten lakh rupees.

Punishment for criminal intimidation of a prison officer or staff etc.

47. (1) Any prisoner who commits the offence of criminal intimidation on a prison officer or staff or their family inside and outside the prison premises shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years, and with fine which may extend to two lakh rupees.

(2) Any prisoner who commits the offence of criminal intimidation by threatening to cause death or grievous hurt to a prison officer or staff or

their family, or to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offence punishable with death or imprisonment for life, or with imprisonment for a term which may extend to seven years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine which may extend to five lakh rupees.

Punishment for introducing, removing of spirituous liquor, tobacco or any other intoxicant or poisonous substance.

48. Whoever introduces into the prison, or removes from any prison, or supplies to any prisoner outside the limits of any prison, or receives or possesses or transfers any of the following prohibited articles, namely:-

(i) spirituous liquors of every description; or

(ii) tobacco and all its preparations which are, or may be, intended to be used for the purpose of smoking, chewing or snuffing; or

(iii) any intoxicant or poisonous substance in any form not covered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act No. 61 of 1985) or the Poisons Act, 1919 (Central Act No. 12 of 1919),

shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and be punished on second or subsequent conviction with

imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine which may extend to five lakh rupees.

Offences to be cognizable and non-bailable.

49. (1) All offences under sections 43, 44, 45, 46, 47, and 48 shall be cognizable and non-bailable.

(2) The prisoner shall undergo the sentence awarded under sections 43, 44, 45, 46, 47, and 48 after the completion of the sentence he is already undergoing.

(3) The offences referred to in sections 43, 44, 45, 46 and 47 insofar as they are not defined in this Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Bharatiya Nayaya Sanhita, 2023.

Procedure on repeated committal of a prison offence.

50. If any person in the prison premises is guilty of a serious prison offence, which by reason of his having committed more than three times and such offence or otherwise, in the opinion of the officer-in-charge, is not adequately punishable by the infliction of any punishment which he has the power to inflict under this Act, the officer-in-charge shall forward the case of such prisoner to the competent Magistrate having jurisdiction, together with a statement of the circumstances, and such Magistrate shall thereupon try the charge so brought against the prisoner, and upon conviction, may sentence him to imprisonment for a term which may extend to three years. Such term shall be in addition to any other term which such prisoner may be already undergoing.

Display of prison offences and penalties.

51. The officer-in-charge shall cause to be affixed, at a conspicuous place inside the prison, a notice in English and in the vernacular language, setting forth the acts prohibited under this Act and the penalties incurred by their commission, for the information of the prisoners and prison officer and prison staff.

CHAPTER-XIII

HEALTHCARE FACILITIES

Prisoners health care.

52. All prisoners shall have access to adequate, gender-responsive health care facilities, as may be prescribed.

Mental health.

53. (1) The Government may, by a general or special order, direct the transfer of any prisoner with mental illness from the place of detention to any mental health establishment in the State with prior permission of the Board mentioned in section 103 of the Mental Healthcare Act, 2017 (Central Act No. 10 of 2017).

(2) The method, modalities and procedure by which transfer of a prisoner under this section is to be effected shall be such, as may be prescribed.

Report on the death of a prisoner.

54. On the death of any prisoner, the medical officer shall forthwith record all relevant details and particulars of the case, as may be prescribed and send the report to the officer-in-charge of the prison who shall further submit the same to the Head of Department and such other authorities, as may be prescribed.

CHAPTER-XIV

WELFARE-PROGRAMMES FOR PRISONERS

Vocational training, skill development, education and recreation facilities.

55. (1) The prisoners shall be provided appropriate opportunity for enhancing their educational qualification, and for library facilities in a prison, in such manner, as may be prescribed.

(2) Vocational training and skill development programs shall be provided to prisoners as part of correctional service. These programmes may be diverse in nature to facilitate rehabilitation of the prisoners, as may be prescribed.

(3) The officer-in-charge may organize spiritual, cultural, and recreational programmes for the prisoners, as may be prescribed.

Prison factories and employment of prisoners.

56. (1) All able-bodied prisoners, who are not otherwise engaged in prison services, shall be allotted work in workshops and prison factories.

(2) Provisions for all kinds of prison labour, allotment of work and management of prison industries shall be such, as may be prescribed.

Establishment of canteens and sales outlets.

57. Canteens and sales outlets may be established in a prison for the sale of products, including jail products to the prisoners, prison officer, prison staff and the public, as may be prescribed.

CHAPTER-XV

SENTENCE PLANNING

Individual sentence planning.

58. (1) A sentence plan setting out the programme of treatment shall be prepared by the officer-in-charge, which shall help in the rehabilitation and social reintegration of the prisoner, as may be prescribed.

(2) The individual sentence plans shall be entered and updated in the record of the prisoner, from time to time.

Work programme and wages.

59. (1) Every prisoner, including undertrial prisoner or civil prisoner or prisoner sentenced to simple imprisonment, while in custody, may be provided the opportunity of work, if available, and be paid commensurate wages, as may be prescribed. The wages of the prisoners based upon the skill shall be set by the Government, from time to time.

(2) The record of wages earned and spent by any prisoner, particulars of deferred wages and matters incidental thereto shall be maintained by the officer-in-charge.

(3) The officer-in-charge shall ensure that there is no discrimination of prisoners in allotment of any duty or work in prisons on the basis of their caste.

(4) The provisions of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Central Act No. 25 of 2013) shall have a binding effect in prisons. Manual Scavenging or hazardous cleaning of a sewer or septic tank inside a prison shall not be permitted.

CHAPTER-XVI

OPEN AND SEMI OPEN CORRECTIONAL INSTITUTIONS

Open and semi open correctional institutions.

60. (1) The Government shall establish and maintain as many open and semi-open correctional institutions for prisoners, as may be required.

(2) The Government shall allow such facilities or concessions in such open or semi-open correctional institution which may assist the prisoner in his rehabilitation into the society, as may be prescribed.

(3) The rules for management of open and semi-open institutions, including the procedure and eligibility of prisoners who can be transferred to such correctional institutions, dealing with prisoners who violate any condition of transfer to an open or semi open correctional institution, shall be such, as may be prescribed.

CHAPTER-XVII

PRISON LEAVE, REMISSION AND PRE-MATURE RELEASE

Parole and Furlough.

61. Prison leave shall be granted to eligible convicted prisoners, in accordance with the provisions of the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1962 (Punjab Act No. 11 of 1962) and the rules, namely the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Rules, 1963 made under the said Act.

Remission to prisoners.

62. The remission may be granted to the eligible convicted prisoner by the competent authority, as may be prescribed.

Pre-mature release.

63. The Government shall frame rules for premature release of life convicts under the provisions of the Bharatiya Nyaya Suraksha Sanhita, 2023.

CHAPTER-XVIII

INTERVIEWS AND COMMUNICATIONS

Interviews and communications.

64. (1) Prisoners may communicate with their visitors, namely family members, relatives, and legal counsel through physical or virtual mode, under proper supervision and monitoring of prison officer(s) and prison staff. Under special circumstances, the officer-in-charge of prison may allow any other person, whose name is not mentioned in the initial list submitted by the prisoner. Visitors to prisoners shall be verified or authenticated through documentary and biometric identification.

(2) The name, address, photograph, Aadhaar authentication and biometric identification of each visitor to the prisoner shall be entered into record, as may be prescribed.

(3) Foreign prisoners may communicate with their family members, legal counsel and consular representatives, as may be prescribed.

CHAPTER-XIX

INSPECTION OF PRISONS

Inspection of prisons.

65. (1) The Government shall, by notification, constitute a Board of Visitors comprising of official and non-official members at district and sub- divisional level with the purpose of visiting and inspecting prisons.

(2) The Head of Department shall, as far as possible, visit and inspect the prisons atleast once in two years and he may have a prison inspected by an officer of appropriate rank at periodic intervals, as may be prescribed.

(3) It shall be the duty of the Magistrate of the District to visit and inspect every prison situated within the limits of his district.

(4) The Government may authorize any other officer to visit and inspect the prisons.

(5) The duties of visitors and appointed officers for inspection shall be such, as may be prescribed.

CHAPTER-XX

AFTER-CARE AND REHABILITATION SERVICES

After-care and rehabilitation services.

66. The Government may endeavor to provide after-care services to all needy prisoners released from a prison with a view to ensure their rehabilitation and reintegration into the society.

CHAPTER-XXI

TRANSGENDER PRISONERS

Special provisions for transgender prisoners.

67. Special provisions shall be made to ensure the welfare and advancement of transgender prisoners, including both trans men and trans women, in such manner, as may be prescribed.

CHAPTER-XXII

MISCELLANEOUS

Execution of sentence.

68. The procedure for executing the sentence of a prisoner shall be such, as may be prescribed.

Appeals, revisions and petitions.

69. Facilities shall be provided to all the prisoners, desiring to file an appeal or revision or petition. The procedure for the same shall be such, as may be prescribed.

Sanitation and hygiene.

70. The Officer-in-charge of the prison shall ensure all necessary measures to maintain proper sanitation and hygiene of a prison, in such manner, as may be prescribed.

Utilization of prison land.

71. The Officer-in-charge of the prison shall utilize the available land within the perimeter security walls of the prison as well as prison land outside the security walls, in such manner, as may be prescribed.

Prison registers, office procedure and management.

72. The Officer-in-charge of the prison shall be responsible for maintaining the relevant prison registers and records in digital and physical format and shall adopt every procedure for effective management of the prison, as may be prescribed.

Uniform, accoutrements and ordinance supplies.

73. (1) Every prison officer and prison staff shall wear a proper uniform and badges as specified by the State Government from time to time or as may be prescribed.

(2) The supply of arms and ammunition and its maintenance, including repair, shall be in such manner, as may be prescribed.

Prisoners condemned to death.

74. The State Government shall make rules under this Act for keeping the prisoners, condemned to death, in the prisons and the subsequent execution of their death sentence.

Legal aid.

75. The Government shall provide the facility of free legal aid to the prisoners in accordance with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987) and the Standard Operating Procedure prescribed by the National Legal Services Authority or State Legal Services Authority or District Legal Services Authority or as may be prescribed.

Constitution of Under Trial Review Committee for every district.

76. There shall be an Under Trial Review Committee for every district to be headed by the concerned District and Sessions Judge, and comprising of such other members and for carrying out such functions, as may be prescribed.

Grievance redressal mechanism.

77. There shall be an appropriate mechanism for redressal of the grievances of the prisoners, prison officer and prison staff, as may be prescribed.

Utilization of services of prisoners.

78. The officer-in-charge may utilize the services of prisoners for the day-to-day administration and management of the prisons, in such manner, as may be prescribed.

Prohibition of strike and agitation.

79. No prisoner, visitor or any person employed in the prison, shall have any right to strike or start or continue any agitation inside the prison for achieving any request or demand.

Emergency.

80. The officer-in-charge shall take all appropriate measures, including the procurement of necessary equipment and preparation of a contingency plan, for preventing and controlling any emergency situation in the prisons, including ensuring availability of Quick Reaction Team, and any other provision in conformity with the Punjab Transparency in Public Procurement Act, 2019 (Punjab Act No. 12 of 2019), Disaster Management Act, 2005 (Central Act No. 53 of 2005) or any other relevant Act and orders or instructions issued by any competent authority.

Extramural custody, control and employment of prisoners.

81. A prisoner, when being taken to or from any prison, in which he may be lawfully confined, or to a court for production or to a hospital for medical treatment, or whenever he is working outside or is otherwise beyond the limits of any such prison in or under the lawful custody or control of a prison officer or prison staff belonging to such prison, or any other officer deployed for such duty, shall be deemed to be in prison and shall be subject to all directions and discipline, as if he were actually in prison.

Prison Development Board.

82. (1) The State may set up a Prison Development Board with the objective of modernizing prison infrastructure and facilities for better prison management, correctional and reformational activities for prisoners and welfare of the prison officer and prison staff.

(2) The composition of such Board, its responsibilities, manner of governance and other provisions shall be such, as may be prescribed.

Delegation of powers.

83. Any of the powers conferred by this Act may be exercised and performed by such officers as the Government may designate in this regard.

Accounts and audit.

84. The accounts of every prison shall be maintained and audited in such manner, as may be prescribed.

Rights and facilities for prisoners with disabilities.

85. (1) No prisoner shall be discriminated against on ground of disability. All prisoners with disabilities shall be entitled to equality, dignity and respect for their integrity on an equal basis with others.

(2) All prison infrastructure, including cells, toilets, medical units, educational and vocational training centers, and grievance redressal systems, shall be made accessible in accordance with such standards, as may be prescribed.

(3) Persons with Disabilities shall be provided with appropriate healthcare, including psychiatric and psychological services, as well as access to rehabilitation programmes and therapies.

(4) All incoming prisoners shall be screened for disabilities at the time of admission. Relevant prison records must reflect their specific needs to ensure suitable accommodations and assistance.

Protection of action taken in good faith.

86. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any functionary of the Government in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or the rules made or orders or directions issued there under.

Power to make rules.

87. The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules consistent with this Act.

Repeal and saving.

88. (1) The Prisons Act, 1894 (Central Act No. 9 of 1894) and the Prisoners Act, 1900 (Central Act No. 3 of 1900), as applicable to the State of Punjab, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding this Act, all the rules, regulations, orders, directions, notifications relating to prisons made under these Acts and in force immediately before the commencement of this Act shall, except where and so far, as they are inconsistent with or repugnant to the provisions of this Act, continue to be in force until altered, amended or repealed by rules made under this Act.

Power to remove difficulties.

89. (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions or take such measures, not inconsistent with

the provisions of this Act, as may appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) The State Government may make an order under sub-section (1) to have effect from any date not earlier than the date of commencement of this Act.

Sd/-

B.B.S. TEJI,

Principal Secretary to Government of Punjab,

Department of Legal and Legislative Affairs.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.